प्रकाशक :
कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान
गोकुल, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

मूल्य : १.५० मात्र

मुद्रक :
पॉपुलर प्रिन्टर्स,
जयपुर

आरंभिक

अंग्रेजी की एक कहावत है परमात्मा ने देहात बनाया और आदमी ने कस्बा। वास्तव में जब से आदमी ने खेती की शुरुआत की तभी से गांव बस गये। भारत अत्यंत प्राचीन काल से गांवों का देश रहा है और ये गांव अपनी आंतरिक शक्ति–स्वावलम्बी अर्थ-व्यवस्था और स्वायत्त पंचायत-व्यवस्था के जरिये इस देश में लगातार चलने वाले राजनैतिक तूफानों का सामना कर सके। तूफान उठे और बड़े-बड़े पेड़ उखड़े तथा टूटे, पर धरती से लगी हुई घास ज्यों की त्यों रही। पर लगता है कि अंग्रेजी राज ने इस अर्थ तथा राज व्यवस्था को तोड़ दिया और सत्वहीन बना दिया। जो सबसे अधिक कमजोर था, वही सबसे अधिक शोषण का शिकार बना और राजनैतिक दृष्टि से भी वही सबसे अधिक टूट गया। ग्रामदान इसी टूटे हुए गांव को जोड़ने और शोषण को रोकने का रचनात्मक और विधेयात्मक कार्यक्रम है।

गांव में शोषण की क्या स्थिति और रूप है, गांव के गरीब लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई किन-किन रास्तों से उनके पास से निकल जाती है और बाहर चली जाती है, इसका अध्ययन करने के लिए सीकर जिले के नीम का थाना खंड के ठीक छोटे से गांव खाती की ढाणी को चुना गया। यह एक पुराना तथा प्रसिद्ध ग्रामदानी गांव है। अध्ययन के लिए अनुक्रम बनाकर सामग्री का संकलन दिया गया है। प्रत्येक परिवार से आयात-निर्यात एवं कर्ज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। साथ ही साक्षात्कार के जरिये ग्रामवासियों की राय और मनोभावना को जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में उपयोग किये गये आंकड़े सर्वेक्षण द्वारा सीधे प्राप्त किये गये हैं।

इस अध्ययन की कुछ सीमायें भी हैं। गांव में दैनिक हिसाब रखने का प्रायः रिवाज ही नहीं है, यहां तक कि मासिक आय-व्यय का भी सही हिसाब मोटे-मोटे रूप में भी प्रायः लिखित नहीं रखा जाता। यही कारण है कि अधिक पुराने आंकड़े नहीं प्राप्त किये जा सके। हमने इस अध्ययन में दो वर्ष की ही जानकारी प्राप्त की है।

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रामाणिक आँकड़े प्राप्त करना कठिन रहा है। कर्ज के आँकड़े भी गांव वालों से ठीक-ठीक प्राप्त करना सम्भव नहीं था। वे महाजनों के हिसाब से प्राप्त किये गये हैं। अध्ययन वर्ष में इस क्षेत्र को अकाल का सामना करना पड़ा है, इसलिये व्यापार की परिवार की परिस्थिति सामान्य से भिन्न रही और इसका सीधा प्रभाव आयात-निर्यात एवं कर्ज पर भी पड़ा। साथ में यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि गांव का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तीनों को अलग-अलग देखने पर 'सम्पूर्ण' का दर्शन सम्भव नहीं है। इस दृष्टि से भी अध्ययन की सीमा है। फिर भी इस विशेष अध्ययन से ग्रामीण व्यापार, कर्ज और शोषण की महत्वपूर्ण जानकारी होती है और उसे दूर करने की दिशा में कुछ संकेत भी मिलते हैं।

यह अध्ययन संस्थान के शोध-अधिकारी श्री अवधप्रसाद द्वारा किया गया है। अध्ययन के प्रकाशन में सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति से आँशिक आर्थिक सहायता मिली है। इसके लिए संस्थान उक्त समिति का विशेषतः श्री रामेश्वर अग्रवाल का आभारी है।

—जवाहिरलाल जैन
मंत्री-निर्देशक

जयपुर
२१ सितम्बर, १९६९

विषय सूची

: एक :

सामान्य परिचय

खाती की ढांणी देश के उन हजारों गांवों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें नीची कही जानेवाली जातियां बसती हैं और जिनका चतुर्मुख शोषण सदियों से होता आया है। आबादी, जाति संरचना, आर्थिक स्थिति आदि को देखते हुए इसे सामान्य गांव नहीं कहा जा सकता है। परन्तु इसे निम्न सामाजिक और आर्थिक स्तर के गांव का नमूना माना जा सकता है। गांव मध्यम वर्ग की स्थिति वाला है। खाती की ढांणी राजस्थान में सीकर जिले में नीम का थाना तहसील का एक गांव है। सीकर से इसकी दूरी ६५ किलोमीटर है और नीम का थाना से २१ किलोमीटर। नीम का थाना से जयपुर जानेवाली सड़क से करीब डेढ किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव का रहन-सहन पूर्णतया ग्रामीण है। निकटतम बाजार कांवट ३ किलोमीटर है। इस प्रकार यह गांव सामान्य शहरी प्रभाव तथा रहन-सहन से अलग सा है।

गांव जिस स्थान पर बसा है तथा इसे आवागमन का जिस ढंग का साधन उपलब्ध है उसे देखते हुए इसे दूरस्थ गांव नहीं कहना चाहिए परन्तु इस गांव के पेशे, रहन-सहन तथा बाहरी सम्बन्धों को देखने से साफ जाहिर होता है कि गांव का बाहरी दुनिया से बहुत कम सम्बन्ध है। गांव का निकटतम रेलवे स्टेशन कांवट है जो कि दिल्ली–अहमदाबाद से सम्बन्ध स्थापित करता है। कांवट निकटतम बाजार है जहां से इस गांव के प्रत्येक परिवार का आर्थिक सम्बन्ध जुड़ा है। इनकी अधिकांश बाहरी आवश्यकता की चीजें इसी बाजार से प्राप्त होती हैं। गांव का प्रत्येक परिवार कांवट के किसी न किसी महाजन से आर्थिक रूप से बन्धा है। वैसे आवागमन की सुविधा की दृष्टि से निकटतम बड़ा बाजार नीम का थाना है। तहसील तथा प्रखण्ड कार्यालय नीमका थाना होने के कारण सरकारी

कार्यों की दृष्टि से भी वहां से वरावर सम्बन्ध रहता है। गांव के कुछ लोग जीविका के लिए भी नीम का थाना जाते हैं। इस प्रकार इस गाँव का मुख्य सम्बन्ध कांवट तथा कुछ हद तक नीम का थाना से है।

सामाजिक संरचना—

इस गांव में दो जातियां हैं (१) खाती (वढई) (२) ब्राह्मण। सामाजिक दृष्टि से दोनों जातियां दो स्तर की हैं, ब्राह्मण जिसे उच्चतम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, खाती जिसे कम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। संख्या की दृष्टि से यह गांव खाती प्रधान है। कुल ३४ परिवारों में ३० परिवार खाती तथा ४ परिवार ब्राह्मणों के हैं। वैसे संपूर्ण हिन्दू समाज में ब्राह्मणों को उच्चतम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। यह गांव उसका अपवाद नहीं है। ब्राह्मणों को परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते हुए भी यहां की राजनीति उनके हाथ में नहीं है। सामान्यतया आज वोट के जमाने में जिस गांव में जिस जाति की वहुलता होती है उसी के हाथ में गांव की राजनीति रहती है। गांव की राजनीति मुख्यतया इन वातों पर निर्भर रहती है:—

(१) परिवार की संख्या (२) परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठा (३) वंशगत प्रतिष्ठा (४) आर्थिक स्थिति (५) व्यक्तिगत योग्यता।

खाती की ढाणी जैसे द्विजातीय गांव में ब्राह्मण तथा खाती, दोनों की आर्थिक, वंशगत एवं व्यक्तिगत योग्यता समान ही है। ब्राह्मण को परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते हुए भी व्यक्तिगत योग्यता की कमी, वंशगत नेतागिरी तथा प्रतिष्ठा का अभाव और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इनका नेतृत्व नहीं चलता है। शिक्षा की दृष्टि से भी ब्राह्मण खाती के समान ही है। इस प्रकार इनके पास परम्परागत ब्राह्मणत्व के अतिरिक्त स्वंय का वहुत कुछ नहीं है। ये सामान्यतया खेतिहर किसान हैं और हमेशा आर्थिक स्थिति ठीक रखने में ही व्यस्त रहते हैं। पर दोनों जातियों में दुराव नहीं है, दोनों जातियां परम्परा से सौम्य ढंग से रहती आयी हैं। यह साफ देखने में आया कि इस गांव में जातिगत संघर्ष नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक जाति ग्रामस्तर पर परम्परागत प्रतिष्ठा

के अतिरिक्त किसी प्रकार की विशेषता रखती हो या दूसरी का सामाजिक शोषण करती हो। दोनों जातियां हिन्दू धर्मावलम्बी है अतः सामाजिक रीति रिवाज काफी हद तक समान हैं।

जातिगत रीति-रिवाज दोनों के अलग अलग हैं। आपसी व्यवहार में साम्य है। ब्राह्मण को खाती के साथ उठने बैठने में कोई एतराज नहीं है। शादी एवं अन्य कार्यों में ब्राह्मण खाती के घर आता है तथा पक्का खाना साथ बैठ कर खाता है। छूआछूत का रिवाज नहीं है। हकीकत तो यह देखने में आयी कि पीढ़ियों से एक साथ रहते, काम करते तथा दिन-रात एक साथ रहने से दोनों जातियों में ऊँच नीच के भेद नहीं के बराबर रह गये हैं। जो कुछ भेद है वह हिन्दु समाज की परम्परागत संरचना के कारण है। आर्थिक दृष्टि से करीब-करीब समान होने के कारण सभी लोग समान रूप से महाजनों से जुड़े हैं। गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो कि स्वयं महाजन के रूप में काम कर सके। हां, दो परिवार के लोगों की छोटी सी दूकान कांवट में है जो कि उनकी जीविका में सहायक है। जाति के अनुसार गांव की परिवार तथा जनसंख्या इस प्रकार है:—

सारणी संख्या— १

जाति	परिवार संख्या	स्त्री	पुरुष	बच्चे	कुल
१— खाती—	३०	६५	७०	१०३	२३८
२— ब्रह्मण—	४	५	१३	१०	२८
कुलयोग—	३४	७०	८३	११३	२६६

खाती प्रधान यह गांव सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। खाती प्रारम्भ से ही शिक्षा से विमुख रहे हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी जातिगत पेशे में लगे रहते हैं। जीविका का मुख्य श्रोत लकड़ी का काम तथा खेती है। यहां एक खास बात यह देखने को मिली कि खाती और ब्राह्मण दोनों ही परम्परागत

ढंग से जातिगत पेशे बहुत कम करते हैं। यहां का खाती गांवों में किसानों के यहां काम नहीं करता। इस संबन्ध में एक तथ्य सामने आया। पहले यहां के लोग भी अन्य गांव के बढ़ई के समान किसानों के यहां लकड़ी का काम करते थे। इन्हें किसानों से निश्चित आय भी प्राप्त होती थी। एक बार किसी बड़े किसान ने जबरदस्ती काम करवाया और उस काम में उस बढ़ई की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद भी उसके परिवार के अन्य सदस्य से उस काम को पूरा करवाया गया। परिणामस्वरूप गांव के सभी बढ़ई परिवारों ने किसी भी किसान के यहां काम करने से इनकार कर दिया। तब से यह परम्परा बन गयी कि इस गांव का बढ़ई किसी के यहां परम्परागत ढंग से बन्ध कर काम नहीं करेगा। हालांकि दैनिक मजदूरी पर यहां के लोग बाहर बढ़ईगिरी का काम करते हैं। परन्तु सामान्यतया ये लोग छोटे कस्बों तथा अन्यत्र जा कर काम करते हैं। पास पड़ोस के गांव से यहां का बढ़ई इस काम को नहीं करते हैं। इसका कारण शायद पर्याप्त मजदूरी न मिलना भी हो। जहां तक ब्राह्मणों के जाति गत पेशे का प्रश्न है एकाध को छोड़ कर जजमानी का काम कोई नहीं करता है। सभी खेती-बारी में व्यस्त रहते हैं।

गांव में काफी हद तक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

कुल आबादी—२६६
साक्षर—४०
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त—७

गांव में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि बाहर नौकरी करता हो। हां, दो-तीन बच्चे हैं जो कि आठवी कक्षा में पढ़ रहे हैं। गांव में एक प्राथमिक शाला आज से चार वर्ष पूर्व से खुली। इस शाला के खुलने के बाद पढ़ाई की ओर थोड़ी अभिरुचि जगी है। गांव के प्राय. २०-२५ छोटे बच्चे इस शाला में नियमित आते हैं। यहां के वृद्ध जन स्वभाव से शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। फिर भी हाल के वर्षों में शिक्षा से होने वाले लाभ की ओर उनका ध्यान गया है। शिक्षा के बाद बाबू बनने की आकांक्षा जगी है। लेकिन बच्चों

को पढ़ाने में बहुत रुचि हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि, "पढ़ लिख कर भी यदि हल ही जोतना है, रंदा ही चलाना है तो पढ़ना क्यों ?" इस अभिव्यक्ति से साफ जाहिर है कि शिक्षा का महत्व अभी तक मालूम नहीं। गांव का सामान्य मानस (१) रूढ़िवादी (२) कष्ट-सहन का अभ्यासी (३) शोषित होते रहने पर भी प्रतिकार से विमुख (४) महाजनों के प्रति विश्वास करने वाला है। यही कारण है कि महाजनों द्वारा या अन्य प्रकार के शोषण की अनुभूति कराने के बाद भी वे कोई बड़ा कदम उठाने को तत्पर होने के इच्छुक नहीं दिखाई देते।

"आज से पांच-सात वर्ष पहले तक सभी घर झोंपड़ियों के थे।" पर आज गांव के २५ प्रतिशत मकान पत्थर तथा ईंट के हैं। अधिकांश ईंट एवं पत्थर के मकान १९६३-६५ के बीच बने। १९६५ के बाद लगातार सूखा पड़ने के कारण जो मकान जहां तक बना वहीं रुका है। फिर भी दो परिवारों ने इस बीच थोड़ा कर्ज लेकर मकान को पूरा कराया है। रहने तथा भोजन का स्तर बिलकुल सामान्य है। झोपड़ी में प्रायः जीर्ण अवस्था में ही रहते हैं। जो पक्के मकान हैं उसमें भी जीवन व्यवस्थित हो, ऐसी बात नहीं। अच्छे मकान में भी रहने का ढंग पुराना ही है। प्रत्येक परिवार के पास प्रायः दो-तीन कमरे हैं, जिसमें पूरे परिवार की गृहस्थी चलती है। बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष सभी छोटी सी कुटिया में पीढ़ियों से रहते आये हैं, रह रहे हैं। गांव में दो खाती परिवारों के नये मकान करीब करीब पूरे हो रहे हैं। जिन्हें सामान्य सुविधा प्राप्त मकान कह सकते हैं। परन्तु रहने के अव्यवस्थित ढंग के कारण इनमें भी पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

भोजन में सामान्यतया बाजरे की रोटी, दाल और कभी कभी सब्जी रहती है। पिछले तीन वर्षों से सूखे के कारण सब्जी का उपयोग प्रायः बन्द है। दो-तीन परिवारों में चाय का खूब रिवाज है। घी-दूध का उपयोग नाम-मात्र का है। चारे की कमी के कारण दुधारु जानवर कम हो गये हैं। सामान्य जीवन में उपयोग की वस्तुओं में मुख्य है-बाजारा, दाल, गुड़ मिर्च-मसाला, चाय। बाहर से खरीदी जाने वाली नित्य उपयोग की वस्तुयें हैं—वस्त्र, गुड़, मसाला तेल आदि साबुन तथा अन्य प्रसाधन की चीजों का उपयोग भी

नाम मात्र का है। नयी पीढ़ी में उनका उपयोग बढ़ रहा है। जो भी आर्थिक आय खेती या बढ़ईगिरी से होती है उसका उपयोग भोजन और वस्त्र पर मुख्य रूप से करते हैं, खेती के लिए बीज तथा पशु पर भी अच्छा खासा व्यय होता है। जब आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहती है उस समय दो मदों में खर्च बढ़ता है (१) मकान बनाना (२) उत्सव-शादी आदि। शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर बहुत व्यय नहीं है। बहुत आवश्यक होने पर ही उपचार पर व्यय करते हैं।

१९६१ में ग्रामदान की घोषणा की गयी और कानूनी रूप से १९६२ में ग्रामसभा का गठन किया गया। गाँव के मुख्य सक्रिय व्यक्ति श्री गंगाराम ग्रामदान के प्रथम समर्थक बने और लगातार दो वर्षों तक विचार शिक्षण के बाद ग्रामदान को कानूनी रूप दिया गया। सामान्यतया पिछड़ा तथा अशिक्षित गाँव होने के कारण ग्रामदान की वैचारिक गहराई को समझना संभव नहीं था। अतः व्यवहारिक रूप से गाँव एक होगा, सामूहिक शक्ति बढ़ेगी इसी भावना की सहमति से लोगों ने ग्रामदान के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। ग्रामदान की मुख्य चारों शर्तें (क) ग्रामस्वामित्व (ख) ग्रामसभा (ग) ग्रामकोष (घ) बीघा में एक विस्वा दान को गाँव के लोगों ने स्वीकार किया। तदुपरांत कानूनी रूप से भूमि ग्रामसभा के नाम की गयी। अब प्रत्येक व्यक्ति (१) लगान ग्रामसभा को चुकाता है और (२) ग्रामसभा की इजाजत के बिना जमीन बेच नहीं सकता है। ग्रामदान के बाद ग्राम पंचायत के सभी अधिकार ग्रामसभा को प्राप्त हुए हैं। श्री गंगाराम ने कई ऐसी घटनायें बताई जिससे साफ जाहिर हुआ कि भूमि पर ग्रामस्वामित्व प्रभावकारी हुआ है। ग्रामदान के बाद व्यक्तिगत रूप से कचहरी की दौड़ समाप्त हो गयी है। सभी सरकारी कार्य ग्रामसभा के माध्यम से किये जाते हैं। जहाँ तक ग्रामसभा की बैठक का सम्बन्ध है उसमें सातत्य नहीं है। बैठक में नियमितता भी नहीं है। प्रायः वर्ष में दो बार ग्रामसभा की बैठक होती है। सामान्य परम्परा यह है कि जब कभी आवश्यक हो ग्रामसभा की बैठक बुलाली जाय। शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामसभा की कार्यवाही लिखित रूप में नहीं रखी जाती है। ग्रामकोष में भी सातत्य नहीं चल सका है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसा सभी ने स्वीकार किया।

गांव का नेतृत्व बुजुर्ग नेता में निहित है। सामान्य तौर पर खाती जाति के बुजुर्ग लोग कार्यों का संचालन करते हैं। श्री गंगाराम जी गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं। ग्रामदान के बाद गांव इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। गांव के अधिकांश लोगों का विश्वास इन्हें प्राप्त है। अभी एक-दो युवक भी काम में रुचि लेते हैं। ब्राह्मण वर्ग नेतृत्व के प्रति उदासीन देखने को मिला। ग्रामदान के बाद सामूहिक निर्णय की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे एक व्यक्ति की नेतागिरी के स्थान पर सबकी राय का महत्व अधिक बढ़ा है। पर इसका बहुत अधिक दर्शन अभी नहीं होता, सूक्ष्म रूप ही है।

: दो :

आर्थिक स्थिति

भूमि और उसका वितरण :

यहाँ की भूमि बलुई दोमट है। रेतीली भूमि होने के कारण मुख्य फसल खरीफ की होती है। गांव के सभी लोग खेती करते हैं। एक भी भूमिहीन नहीं होने के कारण सबको खेती का काम रहता है। सामाजिक दृष्टि से सभी लोग श्रमिक वर्ग में आते हैं। ब्राह्मण भी खेती का काम करते हैं। स्त्री-पुरुष सभी खेत में काम करते हैं। गाँव की भूमि को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। (१) ऐसी भूमि जो ऊसर, चारागाह तथा रास्ता आदि है। (२) ऐसी जमीन जो खेती के काम में आती है।

गाँव में कुल १५०० वीघा जमीन है। इसमें से ६०२ वीघे में खेती होती है। शेप ८९८ वीघा जमीन ऊसर, चारागाह रास्ता, मकान तथा वाग है। वर्तमान समय में भूमि वितरण इस प्रकार है:—

सारणी संख्या—२

भूमि वितरण

श्रेणी (वीघा में)		परिवार संख्या
१ से ५ वीघा तक	—	०
६ से १० ,,	—	१२
११ से २० ,,	—	१४
२१ से ३० ,,	—	६
३१ से ५० ,,	—	२
कुल		३४

कम से कम भूमि वाले परिवार के पास ८ बीघा जमीन है। सबसे अधिक जमीन श्री रिछपाल के पास ५० बीघा है। प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि २ बीघा ६ बिस्वा है। जिस भूमि पर खेती होती है वह उपजाऊ है। रेतीली जमीन होने के कारण पानी का अभाव अधिक रहता है। अच्छी वर्षा होने पर ही बरसाती खेती हो सकती है। गांव में कुल २० कुये हैं जिनसे खेती की जाती है। इन कुओं से करीब ४० बीघा जमीन सींची जा सकती है। यहां सिंचाई का एक मात्र साधन कुंआ है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पानी निकालने का साधन मोट है। रहट तथा अन्य विकसित साधनों का उपयोग पिछले तीन वर्षों से प्रारम्भ हुआ है। खेती के यंत्र परम्परागत हैं। मुख्य फ़सल बाजरा, जौ, गेहूं, मूंगफली है। बाजरे की खेती पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है। गेहूं तथा जौ कुओं के पास की जमीन में बोए जाते हैं इस कारण करीब ४० बीघा में इसकी खेती होती है। नकद आय के लिए प्रायः सभी मूंगफली की खेती करते हैं।

मुख्य पेशे खेती तथा बढ़ईगिरी है। खेती तो हर परिवार करता ही है, साथ में कुछ सहायक धन्धा भी। पेशे की दृष्टि से परिवार-विभाजन इस प्रकार है—

सारणी संख्या—३

पारिवारिक पेशेवर विभाजन

परिवार संख्या

पेशा		खाती		ब्राह्मण
१ खेती	—	३०	—	४
२ बढ़ईगीरी	—	१३	—	—
३ मजदूरी	—	७	—	—
४ अन्य कार्य	—	४	—	२

गांव में १३ खाती परिवार बढ़ई का काम नियमित रूप से करते हैं। ४ खाती परिवारों का सहायक धन्धा दूकानदारी है। ये गांव से बाहर दूकानदारी करते हैं, परन्तु गांव में महाजनी का काम नहीं करते हैं। कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं। परन्तु नियमित रूप

से कहीं मजदूरी करने की परम्परा यहां नहीं हैं। अधिकांश ब्राह्मण खेती से अपनी जीविका चलाते हैं। ब्राह्मण परिवारों की जीविका का आंशिक आधार जजमानी है। खाती परिवार जो कि बाहर बढ़ई का काम करते हैं उनकी प्राय: निश्चित आमदनी होती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन प्राय: ३) कमा लेता है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न कार्यों से पूरे गांव की आनुमानिक आमदनी इस प्रकार रही—

सारणी सं-४

ग्रामीण आय का कुल विभाजन

		रुपयों में
आय के स्रोत	१९६५-६६	१९६६-६७
१. खेती	३२९७०)	३२८२०)
२. बढ़ईगीरी	१८८००)	१७१००)
३. दूकानदारी	४५००)	४५००)
४. मजदूरी तथा अन्य	४८४०)	४७५०)
५. प्याऊ	५००)	५००)
कुल योग	६१६१०)	५९६७०)

स्पष्ट है कि गाँव में मुख्य आय का स्रोत खेती और बढ़ई-गिरी है। उपरोक्त ५ स्रोतों के अलावा अन्य कोई स्थायी आय का जरिया नहीं है। यही कारण है कि सभी लोग दिन-रात खेती तथा अन्य घरेलू कार्यों में लगे रहते हैं। गाँव की पूरी आमदनी का आधा भाग खेती से प्राप्त होता है। पिछले दो वर्षों में ग्रामीण साधनों और प्रयत्नों से जितनी आमदनी हुई है वह प्रति व्यक्ति १९६५-६६ में २३१.५० और १९६६-६७ में २२४.३६ रु० वार्षिक है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय क्रमश: ६३ और ३१ पैसे रही। इस के अलावा खर्च की पूर्ति का एक मात्र स्रोत कर्ज है। यही कारण है कि प्रतिदिन के जीवन में महाजन का प्रवेश है। प्राय: हमेशा किसी न किसी प्रकार से उससे सम्बन्ध बना रहता है।

यहाँ के लोगों की आवश्यकतायें सीमित हैं। भोजन के अतिरिक्त खर्च प्रायः बहुत कम है। जो भी चीजें बाहर से मंगाते हैं वे पास के बाजार कांवट से मंगाते हैं। पेशों के अनुसार ही इनका रहन-सहन है। जिस परिवार की मुख्य आय बढ़ईगिरी से होती है उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी दिखाई देती है। बाहर काम करने वाले बढ़ई परिवारों की आर्थिक स्थिति और रहन सहन का स्तर भी ऊँचा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें नकद आय होती है। इसके साथ उनका सम्पर्क बाहरी लोगों से भी होता है जो स्वयं शहरी जीवन से प्रभावित होते हैं। बाहर काम करने वाले परिवारों में तथाकथित आधुनिक व्यवहार की वस्तुयें अधिक उपयोग में आती हैं, जैसे चाय, साबुन, बनावटी तेल आदि। जिन परिवारों में आय का स्रोत मात्र खेती है और जिनके यहाँ के लोग बाहर काम नहीं करते हैं उनके यहाँ इन चीजों का उपयोग बहुत कम होता है।

जीविका के धन्धे सामान्यतया व्यक्तिगत रूप से चलते हैं। सभी परिवार व्यक्तिगत आधार पर खेती तथा जीविका के अन्य उद्यम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्पादन की इकाई परिवार है। पारिवारिक आर्थिक इकाई के आधार पर ही उत्पादन तथा उपभोग होता है। परिवार के सब सदस्य खेती सामूहिक रूप से करते हैं, बढ़ईगिरी तथा अन्य कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। लेकिन यह व्यक्तिगत आय भी परिवार की आय में जुड़ जाती है। उसका उपभोग परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से करते हैं। महाजन से परिवार स्तर पर सम्बन्ध रहता है। सामान्यतया परिवार के मुखिया का महाजन से सम्बन्ध रहता है। महाजन के यहां परिवार के मुखिया का ही नाम रहता है। और उसी के माध्यम से परिवार में कर्ज या उधार आता है।

गांव में स्वाभाविकतया प्रति व्यक्ति आय से अधिक महत्व परिवार की आय का है। क्योंकि उपभोग व्यक्तिगत आय पर आधारित नहीं है बल्कि पारिवारिक आय पर। आय चाहे जो भी हो परिवार के सभी लोग मिलकर उसका उपभोग करते हैं। खाती की ढाणी में आय के अनुसार परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—

सारणी सं० ५

वार्षिक आय के अनुसार परिवार की श्रेणियाँ

श्रेणियां (रु० में)	१९६५-६६		१९६६-६७
१-५०० या कम	२	—	२
२-५०१ से १००० तक	१२	—	१२
३-१००१ से २००० तक	९	—	१०
४-२००१ से ३००० तक	८	—	६
५-३००१ से ४००० तक	३	—	४
	३४	—	३४

उपरोक्त सारणी से जाहिर है कि अधिकांश परिवारों की वार्षिक आय एक हजार रु० के आस पास है। हमने देखा कि यहां प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी लगभग २२५रु० है। स्पष्ट है कि इस निम्न स्तरीय आर्थिक स्थिति वाला गांव स्वभावतः बहुत हद तक आर्थिक रूप से महाजनों पर निर्भर रहेगा। आगे हम महाजन के साथ के गहरे आर्थिक सम्बन्धों पर विचार करेंगे। यहाँ जाति की दृष्टि से आय में खास अन्तर देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जातियां ही अधिक नहीं हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी है उनके जीवन स्तर में भी बहुत परिवर्तन आया हो ऐसी बात नहीं। सामान्यतया अधिक आय वाले परिवारों की सदस्य संख्या भी अधिक है इस कारण प्रति व्यक्ति आय में कोई खास अन्तर नहीं पड़ता है। हाँ जिन परिवारों का सम्बन्ध बाहरी नकद आमदनी से है उनकी स्थिति अवश्य कुछ भिन्न रहती है। इनके मकान तथा रहन-सहन का ढंग अन्य से थोड़ा भिन्न हो जाता है।

आर्थिक स्थिति रुचि को प्रभावित करती है। इस गांव में प्रायः सभी लोग किसी तरह अपनी प्राथमिक आवश्यकतायें ही पूरी कर पाते हैं। इस कारण इनकी जिन्दगी में विलासिता कही जानेवाली वस्तुओं के प्रति कम रुचि है। धूम्रपान अवश्य इनके जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में

सारणी संख्या-6

श्रेि
(६०
१–५
२–
३–
४–
५–

वार्षि
प्रति
कि
हद
महा
जा
जा
कुछ
सी
संस्
अन्त
आग
मक

में
पूर्
जा
जो

आधुनिक वस्तुओं के प्रति, युवा वर्ग का ध्यान गया है। युवा-वर्ग की रुचियां बदल रही हैं। पर आर्थिक स्थिति रुचियों की सीमा को बांधती है क्योंकि वे अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। रुचि की दृष्टि से यहां के लोगों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। (१) वृद्ध समुदाय (२) स्त्री समुदाय और (३) युवा समुदाय।

यहां का वृद्ध समुदाय पुरानी परम्पराओं तथा मान्यताओं में बंधा हुआ है। शरीर से अपेक्षाकृत मजबूत है साथ ही साथ कष्ट सहने का अभ्यासी होने के कारण शारीरिक कष्टों की अनुभूति भी इन्हें कम होती है। इस वर्ग को इसका भी भान नहीं के बराबर होता है कि महाजन या अन्य कोई इनका शोषण करता है। बल्कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये तो उनका अहसान मानते हैं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना भी इनका स्वभाव सा है। जब युवावर्ग अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने में सुख महसूस करता है तो इसमें इनका हल्का सा विरोध होता है। स्त्री समुदाय भी वृद्ध समुदाय के समान ही कष्ट सहने का अभ्यासी है। बल्कि समाज में स्त्रियों के स्थान के कारण इस वर्ग की आवश्यकतायें वृद्ध लोगों से भी सीमित हैं। जेवर जो कि इनका शृंगार है उस के अतिरिक्त विलासिता के नाम पर स्त्रियां कुछ भी नहीं रखती हैं। फिर स्त्री वर्ग अपने स्वभाव से भी सहनशील है। शारीरिक कष्ट सहना इनका स्वभाव बन गया है। बीमार पड़ने की स्थिति में दवा लेने के उदाहरण इने गिने प्राप्त होंगे। पहले तो स्त्रियां बीमार पड़ती हैं तो उसको जानकारी ही कम होती है और यदि हुई भी तो दवा कराने का कष्ट शायद ही कोई करता होगा। इसके विपरीत युवा-वर्ग शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टि से कम सहनशील देखने को मिला। उसकी आवश्यकतायें तो बढ़ ही रही हैं साथ ही साथ शारीरिक रोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में ये लोग डाक्टर की सलाह तथा चालू दवाओं का उपयोग करते हैं।

: तीन :

आयात-निर्यात

ग्रामीण आर्थिक स्थिति को देखते हुए आयात-निर्यात पर विस्तार से विचार करना समीचीन होगा। गाँव में उत्पादन होने वाली चीजें तथा उसका परिमाण इतना कम है कि उनसे बहुत सीमित आवश्यकताएँ ही पूरी हो पाती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक परिवार को अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति बाहरी आयात से करनी पड़ती है यह आयात पिछले तीन वर्षों से क्रमशः बढ़ता रहा है इसके मुख्य कारण हैं (१) तीन वर्षों से कम वर्षा होना। जिससे अन्न का उत्पादन घट गया है।

(२) जनसंख्या वृद्धि। इस कारण अन्न की खपत बढ़ रही है।

(३) अकाल में चारे आदि की कमी के कारण पशुओं को बेचना पड़ता है। फिर खेती के काम के लिये आवश्यक होने पर खरीद करनी पड़ती है। इस प्रकार पशु तथा अन्य फुटकर चीजों की खरीद भी अधिक करनी पड़ी है।

खाती की ढांणी में जिन चीजों का आयात किया जाता है उनसे साफ जाहिर है कि यहाँ उपभोग के प्रकार काफी सीमित हैं। आयात मुख्यतः आवश्यक उपभोग की चीजों का ही होता है। अनाज के अतिरिक्त जिन चीजों का आयात किया जाता है, उनमें मुख्य हैं वस्त्र, नमक, मीठा, चारा, मसाला-तेल आदि। सामान्यतया वर्षा होने पर चारे की खरीद नहीं की जाती है। पशु भी आयात-निर्यात की वस्तु है। सामान्यतः यहां के लोग पशु स्थायी रूप से खरीद लेते हैं। परन्तु पिछले दो वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि खेती के अवसर पर पशु खरीद लें और खेती के बाद बेच दें। पर इस प्रक्रिया में किसान घाटा महसूस करता है, क्योंकि खेती में साल भर कुछ न कुछ

काम रहता है। फिर भी खिलाने की समस्या ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। कभी कभी इसमें उन्हें मौद्रिक लाभ भी होता है। आयात की मात्रा तथा प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति, सदस्य-संख्या, रहन-सहन के स्तर आदि पर निर्भर रहता है। पिछले दो वर्षों में पारिवारिक आयात की स्थिति देखने से गांव में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खपत तथा बाहरी वस्तुओं की मांग का अंदाज लगा सकते हैं। सारणी सं. ६ में पारिवारिक आयात की प्रवृत्ति देख सकते हैं।

गांव के प्रायः सभी परिवार कमोवेश आयात करते हैं। जैसा कि सारणी से विदित है कुछ खास वस्तुएं ही इस गांव में आयात की जाती हैं। पिछले दो तीन वर्षों में अकाल की खास परिस्थिति के कारण अनाज तथा पशु के खरीद-विक्री में अधिक रकम व्यय हुई है। फिर भी पूरे गांव में सबसे अधिक राशि वस्त्र पर व्यय की जाती है। विभिन्न वस्तुओं पर व्यय की गयी राशि इस सारणी से देखी जा सकती है:—

सारणी सं.–७

विभिन्न वस्तुओं के आयात पर व्यय

(दोनों वर्षों में)

क्रम	वस्तु नाम	रु.
१	अनाज	१५७४०.००
२	कपड़ा	३३२००.००
३	मीठा	६८२५.००
४	पशु	१२१०५.००
५	चारा	८२७०.००
६	तेल, मसाला आदि	१३७८०.००
७	विशेष	६००.००
योग		९३५२०.००

सबसे अधिक व्यय राशि की वस्तुओं का क्रम इस प्रकार बनता है—कपड़ा, अनाज, तेल, मसाला, फुटकर चीजें, और पशु।

पारिवारिक आयात सारणी को आयात श्रेणी के रूप में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है :—

सारणी सं—८

—रुपये में

आयात श्रेणी

(दोनों वर्षों में)

क्रम	श्रेणी		परिवार संख्या
१-	१००० से कम	—	५
२-	१००१ से २००० तक	—	९
३-	२००१ से ३००० तक	—	७
४-	३००१ से ४००० तक	—	५
५-	४००० से अधिक	—	८
	योग		३४

आयात की इन तालिकाओं के बाद पारिवारिक दृष्टि से आयात पर विचार कर सकते हैं। गांव के प्रायः सभी परिवार एक निश्चित वस्तुओं का आयात करते हैं। परन्तु आधुनिक वस्तुओं के उपभोग में अन्तर अवश्य है। बीड़ी, सिगरेट, अच्छे कपड़े आदि के उपभोग में परिवारों में अन्तर है। सबसे कम आयात श्री मदन के परिवार में किया गया है। दोनों वर्षों में कुल ७५० रु. की वस्तुएं आयात की हैं और इसकी वार्षिक आय ७२५ रुपये है। इसका परिवार भी छोटा है। इसके विपरीत सबसे अधिक आयात श्री सूर्याराम ने किया। उन्होंने दोनों वर्षों में कुल ६२०० रु. की चीजें बाहर से खरीदीं। इनके परिवार में कुल २० सदस्य हैं। श्री रुड़मल ने भी अधिक आयात किया, परन्तु उसने इन दो वर्षों में १६ सौ रुपये में एक बैल गाड़ी खरीदी इससे उसकी राशि श्री सूर्याराम से भी कुछ अधिक हो गयी है।

उपरोक्त अध्ययन से आयात के बारे में नीचे लिखे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:—

(क) सामान्यतया गरीब परिवारों ने पिछले दो वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक आयात किया है। क्योंकि इनके पास जमीन भी कम है और इस प्रकार पैदावार भी। यही कारण है कि इन्होंने खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खरीदे।

(ख) आयात की मात्रा की सीढ़ी आर्थिक स्थिति और परिवार में सदस्य संख्या के अनुसार बढ़ती गयी है।

(ग) इसके अपवाद भी हैं। कुछ परिवारों ने इन वर्षों में भी अधिक मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रखी है। कम अन्न खरीदा। इन्हें परिवार की कम सदस्य संख्या ने भी साथ दिया है।

(घ) गांव में सामान्यतया कपड़ा, मीठा तेल, मसाला तथा अन्य फुटकर चीजें बाहर से आयात की जाती हैं। परन्तु पिछले दो-तीन वर्षों से अनाज तथा चारे के आयात में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। सामान्यतया सभी ने अन्न तथा चारे की खरीद की है।

निर्यात—

गाँव में निर्यात की वस्तु मुख्य रूप से मूंगफली है। यही नकदी की फसल है। प्रायः सभी लोग कुछ न कुछ मूंगफली बोते हैं। जमीन मूंगफली के लायक है, इस कारण मौसम के साथ देने पर अच्छी फसल हो जाती है। पिछले तीन वर्षों में यह फसल काफी कम हुई। फिर भी अधिकांश परिवारों ने कुछ न कुछ मूंगफली पैदा कर ही ली। गांव में सबसे अधिक मूंगफली श्री बद्रीनारायण ने १९६५–६६ में ३४ मन बेची। अन्य लोग सामान्यतया २ से १० मन के बीच में रहे। परन्तु १९६६–६७ में सबने कम मूंगफली बेची। किसी ने दस मन से अधिक मूंगफली नहीं बेची। चार परिवारों ने तो बिल्कुल ही नहीं बेची। मूंगफली दोनों वर्ष सामान्य तौर पर ३५ रुपये प्रति मन के हिसाब से बिकी। १९६५-६६ में गांव भर में कुल १५१.५ मन मूंगफली ५५०७ रुपये में बेची गयी। परन्तु अगले वर्ष १९६६-६७ में मात्रा घट गयी और १२० मन मूंगफली ४१४७ रुपये में बेची गयी। १९६५–६६ में कुल लोगों ने मिर्च एवं अन्य फुटकर चीजों की बिक्री से भी ८०) प्राप्त किये।

गांव में पशु विक्री भी हुई। वैसे पशु की खरीद अधिक होती है। फिर भी मुख्यतः अकाल के कारण दो वर्षों में पशु विक्री की प्रवृत्ति में कुछ वृद्धि हुई है। ये पशु सामान्यतया गांव से वाहर विके हैं। पशुओं की खरीद भी गांव के वाहर से ही हुई है। इन दो वर्षों में लोगों ने खेती के लिए बैल खरीदे तथा खेती के वाद चारे के अभाव के कारण उन्हें वेच दिया। फिर भी निर्यात की अपेक्षा आयात इन दो वर्षों में भी अधिक ही हुआ है। दोनों वर्षों में गांव से कुल ३६०० रुपये के पशु वाहर वेचे गये। इनमें मुख्यतया बैल थे। इस प्रकार गांव में निर्यात मुख्यतः मूंगफली और पशु दो ही चीजों का होता है। निर्यात की कुल राशि १३३३४ रु. रही।

गांव के कुल आयात-निर्यात की मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करने तथा दिशा जानने के लिए इस सारणी को देख सकते हैं:—

सारणी संख्या ९

आयात-निर्यात

(१९६५-६६ और ६६-६७) रुपये में

वर्ष		आयात		निर्यात
१९६५-६६	—	४४५७५	—	५५८७
१९६६-६७	—	४८९४५	—	७७४७
कुल		९३५२०	—	१३३३४

आयात निर्यात में काफी अन्तर है। स्वभावतः अतिरिक्त आयात के लिए धन अन्य कार्यों से प्राप्त होता है। आयात के लिए धन के मुख्य स्रोत हैं—

१– निर्यात से प्राप्त रकम

२– वढ़ईगिरी से प्राप्त मजदूरी

३– कर्ज।

आय के स्रोतों में वढ़ईगिरी का प्रमुख स्थान है। सारणी से स्पष्ट होता है कि पिछले दो वर्षों में आयात तथा निर्यात दोनों

की मात्रा बढ़ी है। निर्यात की मात्रा बढ़ने का कारण यह है कि १९६६-६७ में पशु की बिक्री अधिक हुई है। मूंगफली का निर्यात इस वर्ष पिछले वर्ष से कम हुआ है। आयात का बढ़ना स्वाभाविक था क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। फिर क्रमशः उपयोग भी कतिपय कारणों से बढ़ रहा है।

आयात-निर्यात पर सामान्य तौर पर जाति का असर पड़ता है। परन्तु इस गांव में जातियां भी दो ही हैं और व्यापार पर जाति की भिन्नता का कोई खास प्रभाव नहीं है। मुख्यतः दोनों जातियों की समान प्रकृति हो गयी है। ब्राह्मण परिवार मुख्यतः खेती पर निर्भर है इस कारण आय का क्षेत्र सीमित है। इन्हें थोड़ी मात्रा में जजमानी से भी 'प्राप्ति' हो जाती है। पर जो चीजें बाहर से खरीदी जाती हैं उनमें दोनों की समान स्थिति है। गांव में व्यापार की वृत्ति प्रायः किसी में नहीं है। सभी अपनी-अपनी जरूरत के लिए ही आयात-निर्यात करते हैं।

गांव में रहन-सहन के ढंग के कारण कुछ बातें सामने आती हैं। बूढ़े लोगों की आवश्यकताएँ काफ़ी सीमित हैं। परन्तु नवयुवक वर्ग खास कर जो बाहर बढ़ईगिरी का काम करते हैं उनमें अन्य आवश्यकता की चीजों का आकर्षण बढ़ा है। ये लोग तेल, साबुन तथा नये किस्म के कपड़े का उपयोग अधिक करते हैं। यही कारण है कि इन चीजों का आयात क्रमशः बढ़ रहा है। इधर चाय पीने की आदत भी बढ़ी है। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें अनावश्यक उपयोग की चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। गांव के तीन-चार युवक टेरिलीन तथा अन्य किस्म के वस्त्रों के उपयोग में भद्रता महसूस करते हैं। इसी प्रकार हुक्का के स्थान पर सिगरेट पीने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह कहा जा सकता है कि फुटकर आवश्यकता की किस्में क्रमशः बढ़ रही हैं। तथाकथित विलासिता के नाम से जानी जाने वाली वस्तुओं के उपयोग की वृत्ति नयी पीढ़ी में बढ रही है। जहां तक महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है उन्हें 'जहाँ का तहाँ' माना जा सकता है। अभी तक उनके साथ रहन-सहन तथा आवश्यकताओं में वृद्धि नहीं हुई है। सभी स्त्रियां गांव में रहती हैं, उनका शहरी जीवन से सम्बन्ध नहीं के बराबर है। अतः उनके मतलब की चीजों का आयात परम्परागत है। भोजन के अलावा जो बाहर से मंगाया जाता है वह मन्द के

अतिरिक्त दूसरी कोई चीज शायद ही हो। हां, परम्परागत ढंग के आभूषण का सीमित शौक अवश्य देखने को मिला।

आयात-निर्यात की प्रवृत्तियों को देखने पर साफ जाहिर होता है कि प्राथमिक समझी जाने वाली आवश्यकता की चीजों का आयात ही अधिक है। प्राथमिकता को देखते हुए आयात को इन श्रेणियों में व्यक्त कर सकते हैं:—

(अ) भोजन से सम्बन्धित चीजें-अन्न, गुड़, तेल-मसाला।

(ब) वस्त्र,

(स) खेती के साधन तथा पशु और चारा,

(द) फुटकर आवश्यकता की चीजें—चाय, साबुन, खाती के औजार, बच्चों की पुस्तकें, दवा, तथा अन्य तात्कालिक चीजें। जैसा ऊपर हमने देखा है, निर्यात की चीजों की बहुत अधिक किस्में नहीं हैं।

आयात की पिछले दो वर्षों की प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अकाल के कारण आयात क्रमशः बढ़ रहा है। १९६५-६६ में प्रति व्यक्ति वार्षिक आयात १६७ रु. के आसपास रहा। जबकि १९६६-६७ में यह बढ़कर १८५ रु. प्रति व्यक्ति हो गया। ध्यान में रहे कि इस दोनों वर्षों में कोई भी सामाजिक कार्य गांव में नहीं हुए। हाँ परिवार वृद्धि अवश्य हुई। इससे साफ जाहिर है कि उत्पादन में ह्रास ही हुआ, वृद्धि नहीं। कर्ज में वृद्धि हुई।

उपभोग की आधुनिक प्रवृत्तियों को देखते हुए आयात का क्षेत्र क्रमशः बढ़ने वाला है। शिक्षा के प्रसार तथा बाहरी संपर्क के कारण विलासिता की चीजों का तथा अनावश्यक उपभोग की चीजों का तथा आवश्यक उपयोग की चीजों का आयात भी बढ़ने वाला है। अभी आयात में विभिन्नता की कमी का एक कारण पूंजी की कमी भी है। ज्यों-ज्यों आय-खास कर नकद आय बढेगी त्यों-त्यों आयात भी बढ़ेगा। खेती की वर्तमान स्थिति में उसकी उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति की कम सम्भावना है। इसका प्रभाव यह होगा कि निर्यात नहीं बढ़ेगा। इस गांव में निर्यात की वस्तु मुख्यतः मूंगफली है। निर्यात के अन्य प्रकार न होने के कारण किसान की नकद आय में वृद्धि की बहुत गुंजाइश नहीं है। यही कारण है कि आयात-निर्यात में संतुलन के लिए कुछ खास

प्रयास करने होंगे। अभी तो गांव आयात के लिए काफी हद तक महाजन पर निर्भर करता है। गांव आयात की शक्ति प्राप्त करे इसके लिए या तो उत्पादन बढ़ाया जाय या अन्य प्रकार से नकद आमदनी प्राप्त की जाय। इस संबंध में ग्रामसभा को गहराई से विचार करके नीति का निर्णय करना होगा।

आयात-निर्यात की रकमों को देखने पर स्पष्ट होता है कि दोनों में काफी अन्तर है। पिछले दो वर्षों में कुल आयात ६३५२० रु. का तथा निर्यात मात्र १३३३४ रु. का किया गया। गांव पर कुल कर्ज ४५४२० रु. का है, इन दो वर्षों के पहले का कर्ज भी इसमें शामिल है। स्पष्ट है कि आयात के साधनों की पूर्ति कृषि, बढ़ईगिरी आदि की आय से की जाती है। आयात में बढ़ईगिरी का काम काफी मदद पहुँचाता है। दोनों वर्षों में इसकी आमदनी ३५६०० रु० रही और इसकी अधिकांश रकम आयात में व्यय की गयी। बढ़ईगिरी इस गांव में नकद आय का मुख्य सहारा है। खास कर अकाल की स्थिति में इसी से आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है। गांव में आमदनी के कुछ फुटकर कार्य भी होते हैं जैसे दुकान, मजदूरी, प्याऊ आदि—जिससे मौद्रिक आय प्राप्त होती है।

: चार :

कर्ज और कर्जदार

कर्ज लेकर जीविका चलाने की परम्परा सामान्यत: सभी गांवों में है। यह उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति का प्रमाण है। खाती की ढांणी इससे अलग नहीं है। प्राय: सभी परिवारों के ऊपर कुछ न कुछ कर्ज नकद या उधार के रूप में है। यहां के लोग पूरा का पूरा कर्ज कांवट के महाजनों से लेते हैं। गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो स्वयं कर्ज देने का कारोबार करता हो। कर्ज मुख्यत: दो रूपों में लेते हैं :—

१. नकद के रूप में।

२. वस्तु के रूप में उधार।

जहां तक वस्तु उधार लाने का प्रश्न है प्राय: लोग प्रतिवर्ष उधार लाते हैं और फसल पर चुका देते हैं। वस्तु और नगद दोनों के लेने की शर्तों में भिन्नता है।

१९६६-६७ वर्ष में पूरे गांव पर ४५,४२० रु० का कर्ज था जो कि महाजनों से लिया गया था। गांव के ३४ परिवारों में से वे ९ परिवार नकद कर्ज से मुक्त हैं। शेष २५ परिवारों को निम्नलिखित कर्ज की श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :—

सारणी सं० १०

पारिवारिक कर्ज की श्रेणियां

श्रेणी (रु०)	परिवार संख्या
कर्ज मुक्त	९
५०० तक	४
५०१ से १००० तक	५
१००१ से २००० तक	७
२००१ से ३००० तक	७
३००१ से ४००० तक	२
	३४

इस प्रकार कर्जदार परिवारों में से १६ परिवारों पर तीन हजार से कम का कर्ज था। चार हजार से अधिक कर्ज वाला एक भी परिवार नहीं था। अधिक कर्ज लेने वालों की संख्या भी कम थी। प्रति परिवार कर्ज की जानकारी सारणी संख्या ११ से प्राप्त की जा सकती है।

सारणी सं० ११

कर्ज की पारिवारिक स्थिति १९६६-६७

नं०	नाम	रुपये में	नं०	नाम	रुपये में
१.	श्री गंगाराम	२०००	१८.	श्री बद्रीनारायण	१५००
२.	„ गोविन्दराम	३०००	१९.	„ सूर्याराम	३०००
३.	„ मदन	१०००	२०.	„ हरिनाथ	१०००
४.	„ साधुराम	१०००	२१.	„ नारायण	१००
५.	„ मनोहरलाल	२२००	२२.	„ धार्मी	३०००
६.	„ नारायण	×	२३.	„ भगवान	×
७.	„ गनपत	३०००	२४.	„ हजारीलाल	×
८.	„ रामनिवास	×	२५.	„ चांदमल	×
९.	„ श्योराम	×	२६.	„ रुड़मल	३५००
१०.	„ जवाहर	१००	२७.	„ मालीराम	२०००
११.	„ रुड़मल	१०००	२८.	„ भोगीराम	×
१२.	„ भूराराम	३५००	२९.	„ भूरा	×
१३.	„ हरिनारायण	५००	३०.	„ जवाहर	×
१४.	„ छोटू	५००	३१.	„ भूरा	×
१५.	„ जमुना जांगीर	३०००	३२.	„ दानाराम	१५००
१६.	„ महादेव	२०००	३३.	„ भगवान	३०००
१७.	„ रिछपाल	१५००	३४.	„ शिवनारायण	१५००

कुल योग ४५४२०.००

जिन ९ परिवारों पर कुछ भी नगद कर्ज नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति काफी संतुलित है। इनमें से ५ ने अध्ययन वर्ष में अनाज बिलकुल नहीं खरीदा। शेष चार ने कुछ न कुछ अनाज अवश्य खरीदा पर अन्यों की अपेक्षाकृत काफी कम। इनमें से तीन परिवारों में सदस्य संख्या मात्र तीन-तीन है। इन तीनों परिवारों

की प्रति परिवार वार्षिक आय ७५०) रु० है। चार ऐसे कर्ज मुक्त परिवार जिन्होंने कुछ न कुछ अनाज खरीदा हैं उनका परिवार भी सामान्यतया बड़ा है। तीन हजार से अधिक कर्ज वाला परिवार श्री भूराराम और रुड़मल का है। इन दोनों के ऊपर मकान बनाना तथा अन्य कार्यों के कारण अधिक कर्ज है।

कर्ज लेने की प्रवृत्तियों पर उसके उपयोग की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। उपयोग को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—

(१) शादी, मकान बनाने तथा कृषि के औजार आदि के लिए लिया गया, स्थायी कर्ज।

(२) अस्थायी कर्ज, जो कि मुख्यतया इन कार्यों के लिए लिया है-

(क) पिछले दो वर्षों से कम उत्पादन के कारण लिया गया कर्ज। यह कर्ज मुख्यतः भोजन तथा वस्त्र के लिए हुआ।

(ख) पशु तथा बीज के लिए लिया गया कर्ज। यह कर्ज भी अस्थायी रहा क्योंकि मौसम की खराबी के कारण पिछले वर्षों में बार-बार पशु बेचना तथा खरीदना पड़ा। उसके साथ बीज पर भी अनियमित ढंग से व्यय हुआ।

(ग) कुछ फुटकर कार्यों के लिए भी कर्ज लिया गया।

उपरोक्त श्रेणियों में कर्ज के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि कुल २० हजार रुपये का कर्ज 'स्थायी' कामों के लिये लिया हुआ है। शेष २५४२० रु० का कर्ज अस्थायी कार्यों के लिए, खास कर पिछले तीन वर्षों में लिया गया है। कर्ज पर प्रतिवर्ष १२ प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है।

जहां तक कर्ज की वापसी का प्रश्न है वह प्रत्येक परिवार के महाजन से व्यक्तिगत समझौते पर निर्भर करता है। सर्वेक्षण से पता चला कि किसान प्रायः दो तीन वर्षों में कर्ज वापसी का वादा करते हैं। यह वायदा मुख्य रूप से स्थायी कर्ज के लिए किया जाता है। अस्थायी कर्ज तो फसल होने के बाद वापस किया जायगा, ऐसा समझौता रहता है। अतः किसान प्रतिवर्ष, फसल होने के बाद, कुछ

न कुछ कर्ज अवश्य चुकाता है। इन बातों पर आगे थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे।

यहां हम पारिवारिक दृष्टि से कर्ज लेने की प्रवृत्ति पर विचार करना चाहेंगे। जिन नौ परिवारों ने कर्ज नहीं लिया है उनकी आर्थिक स्थिति संतुलित मानी जा सकती है। सामान्यत: इन परिवारों ने खाने के लिए अनाज नहीं खरीदा है। अन्य अस्थायी कार्यों के लिए इन्होंने कर्ज नहीं लिया। इसके अलावा इन परिवारों की सदस्य संख्या भी कम थी, इसका प्रभाव भी कर्ज न लेने पर पड़ा। इन परिवारों के ऊपर पुराना किसी प्रकार का कर्ज नहीं था। जिन कर्ज-मुक्त परिवारों ने पिछले दो वर्षों में अन्न का आयात करने के बावजूद कर्ज नहीं लिया उनकी आय का एक हिस्सा बढ़ईगिरी से प्राप्त होता था। यह भी स्पष्ट है कि इन परिवारों को खास परिश्रमी कहा जा सकता है।

सबसे अधिक कर्ज लेने वाला परिवार श्री चांदमल का है। इन्होंने ३५०० रु० नगद कर्ज लिया है। इसमें से करीब २ हजार का स्थायी कर्ज है तथा शेष कर्ज तात्कालिक है जो कि मुख्य रूप में खाने के लिए लिया गया। कुल आठ परिवारों पर तीन से साढ़े-तीन हजार रुपये तक कर्ज है। इन अधिकतम कर्जदार परिवारों का कर्ज लेने का कुछ खास कारण भी है। इनमें से तीन परिवारों ने खास काम के लिए कर्ज लिया। इन कार्यों में मुख्य है पशु खरीद, ऊंट गाड़ी खरीद और एक व्यक्ति ने मकान निर्माण के लिए भी कर्ज लिया। फिर खाने तथा वस्त्र आदि के लिए तो अन्य लोगों की भांति इन्होंने भी कर्ज लिया। कुल कर्जदार परिवारों में से नौ परिवारों के स्थायी कर्ज का कारण शादी है। शादी पर लिया जाने वाला कर्ज दो वर्ष से पुराना है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में गांव में एक भी शादी नहीं हुई है।

जिन परिवारों ने अधिक कर्ज लिया उनकी आर्थिक स्थिति सामान्यत: खराब है। अधिक कर्ज लेने वाले परिवारों को दो वर्गों में बांट सकते हैं (क) ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है या सदस्य संख्या अधिक है, (ख) ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति सामान्य है पर किसी खास कारण से कर्ज लिया है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में से दो पर नाम मात्र का कर्ज है।

अन्य दो ने कतिपय कारणों से कर्ज लिया है। उनका यह कहना है कि, "हमारी आय अवश्य अधिक है, पर उसके अनुसार खाने वाले तथा अन्य खर्च भी अधिक है।" उन पर किसी न किसी कारण से कर्ज हो ही जाता है।

दूसरे लोग कम कर्ज वाले हैं। कम कर्ज लेने वाले परिवारों की संख्या ४ है। उनकी आर्थिक स्थिति मध्यम स्तर की मानी जानी चाहिए। उनमें से दो परिवारों की अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति है। इस कारण इन्होंने कम कर्ज लिया। शेष दो परिवारों की आर्थिक स्थिति भी संतुलित है और इनका परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है। इनकी सदस्य संख्या मात्र एक दो की है। एक परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित रखा। इस प्रकार कम कर्ज लेने वाले परिवारों में सभी आर्थिक स्थिति के परिवार आते हैं।

गाँव में १२ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक से २ हजार तक कर्ज लिया है। इस श्रेणी में सभी आर्थिक स्थिति के लोग आते हैं। सामान्यत: ब्राह्मण इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के कर्जदार परिवारों का अध्ययन करने पर साफ जाहिर हुआ कि इनकी कर्जदारी का मुख्य कारण उत्पादन में कमी है। ये परिवार कर्ज से मुक्ति में खास प्रयत्नशील दिखे। यही कारण है कि इन्होंने स्थायी कार्यों के लिए कम-से कम कर्ज लिया है। इनके मकान इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए घटिया किस्म के हैं। इनमें से अधिकांश ने कर्ज लेकर मकान बनाने के बारे में असहमति व्यक्त की। या सबकी यही स्थिति है ऐसी बात नहीं है। इनमें से दो परिवारों ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया है। यह कर्ज आज से तीन वर्ष पूर्व लिया था, जबकि उपज की अच्छी आशा थी। और कर्ज लेने के पीछे यही मंशा थी कि अगले दो वर्षों में चुकता कर दिया जायगा।

जहां तक कर्ज प्राप्त होने में सुविधा-असुविधा का प्रश्न है उसमें सबको समान कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कर्ज मुख्य रूप से महाजन से प्राप्त होता है। कर्ज लेने वाले तथा कर्ज देने वाले दोनों की बातों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि महाजन ख़ुशी से कर्ज देता है। हालांकि लेने वाला ख़ुशी से नहीं लेता है। पर लेने वाला इतना तो अवश्य महसूस करता है कि महाजन ने समय पर

सहायता करके उस पर एहसान किया है। महाजन इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि उसका पैसा डूबे नहीं। उसका गांव के प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क होता है और रोजमर्रा का सम्बन्ध रखता है। इसलिये पैसा डूबने का अंदेशा नहीं के बराबर रहता है। फिर वह बिना कागजी कार्यवाही के एक पैसा भी नहीं देता। सभी आर्थिक स्तर वालों से मिलने पर यह पता चला कि नीची आर्थिक स्थिति वाले परिवार को भी कर्ज मिलने में खास परेशानी नहीं होती है। पर प्रत्येक परिवार को उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कर्ज मिलता है। महाजन कर्ज देते सामान्यतः इन बातों को ध्यान में रखता है:—

(१) परिवार की आर्थिक स्थिति।

(२) परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा।

(३) कर्ज लेने तथा चुकाने का पिछला रेकार्ड।

(४) लाभ की मात्रा।

महाजन इस बात पर पूरा विचार कर लेता है कि उसे किस किसान से कितना मिलने वाला है। यह लाभ किसान के भोले-पन पर भी निर्भर करता है। कोई किसान गरीब है, पर यदि महाजन को उस से भी कुछ मिलने की आशा हो तो उसे कर्ज देने में नहीं चूकता है। महाजन के सामने मोटा हिसाब यह होता है कि उतने से अधिक कर्ज नहीं दिया जाय जितनी कि किसान की सम्पत्ति हो।" उसे इस बात की बहुत चिंता नहीं रहती कि कर्ज निश्चित समय पर वापस हो जाय बल्कि देर होने पर ब्याज मिलेगा, कागज में भी गड़बड़ी करने की गुंजाइश रहेगी। पर "कर्जदार से तकाजा तो हमेशा करना हमारा धर्म है।"

सर्वेक्षण से यह पता चला कि अब तक इस गांव में किसी भी महाजन का पैसा नहीं डूबा है। देर से ही सही पर वापस अवश्य किया गया है।

गांव में प्रायः सभी सामान्य तथा निम्न स्तर के किसान हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनके कर्ज का भार अधिक है। पर यह अधिक भार, जैसा कि हमने देखा, तात्कालिक परिस्थितियों के कारण खास तौर पर है। स्थायी कर्ज की मात्रा प्रायः अधिक नहीं

है। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि भरसक-प्रयास रहता है कि कर्ज नहीं लिया जाय। पर चीजें उधार लेने की प्रवृत्ति सामान्य मानी जा सकती है। प्रायः हर वर्ष यहां के लोग खाने के लिए उधार लाते हैं तथा फसल होने पर वापस कर देते हैं। यह कहा जा सकता है कि (१) यहां के लोग नकद कर्ज भरसक नहीं लेते हैं। (२) परन्तु तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार-पैसा या वस्तु प्रायः हर वर्ष लाते हैं। इसके अभ्यस्त हो से गये हैं। इनका महाजन से नित्य प्रति का सम्बन्ध हो गया है। महाजन भी इनकी घरेलू परिस्थितियों से पूरा परिचित है तथा ये भी महाजन के व्यवहार के अभ्यस्त हो गये हैं। इन बातों पर आगे और विचार करेंगे। इस गाँव में नकद कर्ज की मात्रा अन्य गांवों की अपेक्षा कम है क्योंकि बढ़ईगिरी एक ऐसा धन्धा है जिससे प्रतिदिन नकद आय प्राप्त हो जाती है और उससे आयात में काफी मदद मिलती है।

नकद कर्ज की राशि को देखने से जाहिर है कि अध्ययन वर्ष में प्रति परिवार कर्ज की मात्रा १३३३ रु. थी। अन्य गाँव जहाँ कि नकद आय वाले सहायक उद्योग नहीं हैं, वहाँ कर्ज तथा शोषण की की मात्रा अधिक होना स्वाभाविक है।

———

: पांच :

महाजन : शोषण और सम्बन्ध

महाजन ही गाँव के सारे विनिमय का माध्यम है। जो भी चीजें गाँव में खरीदीं तथा बेची जाती हैं महाजन के माध्यम से। नित्य की आवश्यकता की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ग्रामीण विनिमय का थोड़ा भी अध्ययन करने से साफ जाहिर होता है कि महाजन ग्रामीण जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। नित्य उपयोग की चीजों से लेकर स्थायी जीवन के कार्य– जैसे शादी, त्यौहार मकान आदि—सब में महाजन के रुख का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक परिवार का और अन्तत: प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महाजन के कार्यों से प्रभावित होता है। वैसे शहर हो या गाँव, प्रत्येक व्यक्ति का बाजार से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध आता ही है। लेकिन गाँव के लोगों का बाजार से सम्बन्ध महाजन के जरिये ही आता है और वह शहरी लोगों के सम्बन्ध से भिन्न प्रकार का है। गाँव में महाजन से प्रत्येक परिवार का खास सम्बन्ध रहता है। गाँव के किसान का महाजन से सम्बन्ध व्यक्तिगत रहता है। तथा कभी कभी पारिवारिक कार्यों में हस्तक्षेप तक भी पहुँच जाता है। इनका सम्बन्ध माल खरीद-बिक्री तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण जीवन का खास कर यहां के लोगों का, किसान का महाजन से निम्नलिखित बातों में सम्बन्ध रहता है:–

१–वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री के लिए।

२–वस्तुयें उधार लेने के लिए।

३–कर्ज लेने के लिए।

४–सलाह-मशविरा और मार्गदर्शन।

इसके अतिरिक्त महाजन कुछ खास सुविधाएँ गांव के लोगों को पहुँचाता है। इन सुविधाओं में मुख्य यह हैं—वह खरीददारी स्वयं गांव में आकर करता है। कभी-कभी सामान घर पर पहुँचा भी

देता है, महाजन हमेशा किसान से व्यक्तिगत संबंध रखता है। इसी प्रकार किसान भी जब देखते हैं कि महाजन और किसान दोनों परस्पर लाभ के लिए सम्बन्धों में घनिष्टता बनाये रखता है। हालांकि इन सम्बन्धों में स्वाभाविकतया महाजन को आर्थिक लाभ अधिक रहता है। किसान सामान्यतया शोषित तथा महाजन शोषक होता है। शोषण तथा आपसी सम्बन्धों की दृष्टि से इस गांव के लोगों का महाजन से सम्बन्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे।

जैसाकि बताया जा चुका हैं, खाती की ढांणी के किसानों का कांवट के महाजनों से सम्बन्ध है। गांव के विनिमय की अधिकांश क्रियाएँ यहां के महाजनों के द्वारा ही पूरी होती हैं। गांव के लोगों की आवश्यकताएँ सीमित हैं तथा जैसाकि हमने देखा, यहां के अधिकांश लोग स्थानीय क्षेत्रों में ही काम करते हैं। अतः जो भी विनियम का काम किया जाता है वह कांवट के महाजन पूरा करते हैं। गांव के प्रत्येक परिवार का एक या एक से अधिक महाजन से व्यापारिक सम्बन्ध है। प्रत्येक परिवार निश्चित महाजन से सम्बद्ध है और जो भी लेने-देन का कार्य होता है वह इन्हीं महाजनों से किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक महाजन का एक परिवार या एक परिवार का किसी एक महाजन से सम्बन्ध हो। एक परिवार का ३-४ महाजनों से भी सम्बन्ध रहता है इसके कई लाभ गांव वालों ने गिनाये, जैसे (क) उधार लेने की सुविधा (ख) कर्ज एक के यहा से न मिलने पर दूसरे के यहाँ से ले सकते हैं। (ग) इसी प्रकार खरीद-बिक्री का अन्य कार्य भी कई के यहां से करने में सुविधा होती है। महाजन का तो अपने पेशे के कारण कई परिवारों से सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है।

गांव में केवल एक परिवार ऐसा मिला जिसका कोई निश्चित महाजन नहीं है। यह परिवार कर्ज मुक्त भी है। यह परिवार सामान्यतः उधार भी कम लाता है। लेकिन अन्य परिवारों के निश्चित महाजन हैं। कुल आठ महाजन हैं जिनका गांव में विभिन्न परिवारों से सम्बन्ध है। किस महाजन का कितने परिवारों से सम्बन्ध है इसे इस तालिका से समझा जा सकता है:—

सारणी संख्या—१२

महाजन और किसान

क्रमांक	महाजन का नाम			परिवार संख्या (जिनसे इनका सम्बन्ध है)
१.	श्री रुड़मल	......	......	२५
२.	" झूंता	....	......	५
३.	" रामावतार	....	....	१३
४.	" प्रभु दयाल	......	....	२
५.	" श्री राम	......	....	१
६.	" सूंड़ा	......	......	३
७.	" कन्हैया लाल	......	......	७
८.	" कानू	......	......	३

सबसे अधिक परिवारों से सम्बन्ध रखने वाला महाजन श्री रुड़मल है। इस महाजन का गांव के २५ परिवारों से सम्बन्ध है। यह महाजन गांव का सबसे पुराना व्यापारी है। दूसरा स्थान श्री रामावतार का है जिसका सम्बन्ध १३ परिवारों से है। अन्य सभी महाजन नये हैं, उनका सम्बन्ध भी स्थायी नहीं है। किसान भी इन महाजनों से स्थायी सम्बन्ध नहीं रखता है। उपरोक्त तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में चार महाजनों का निकटतम सम्बन्ध है तथा अन्य चार का अस्थायी अध्ययन तथा विभिन्न साक्षात्कारों से पता चला कि प्रत्येक महाजन अधिक-से-अधिक किसानों से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। पर वह सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास में अपने लाभ की वलि नहीं चढ़ाता है। कौन महाजन कितने किसानों से अधिक गहरा सम्बन्ध स्थापित कर पाता है यह उसके व्यक्तिगत गुणों पर भी निर्भर करता है। गांव के लोग उस महाजन से अधिक गहरा सम्पर्क रखते हैं जो—

(क) उधार देने में समर्थ है।

(ख) समय पर कर्ज दे सकता हो।

(ग) विश्वास पात्र हो।

(ग) पुराना महाजन हो।

(ङ) कर्ज या उधार की वापसी में कड़े साधनों उपयोग न करता हो ।

किसान समय पर उधार या कर्ज चुकाने में अपने को प्रायः असमर्थ जरूर पाता है, पर वह कभी कर्ज चुकाने से इनकार नहीं करता । अब तक एक भी उदाहरण इस गांव में नहीं मिला जिसमें किसान कर्ज चुकाने से मुकरा हो ।

खाती की ढाणी सामान्य निम्नस्तरीय किसानों का गांव है । इसका महाजन से गहरा सम्बन्ध है । इस दशा में स्वाभाविक है कि महाजन को किसान के परिवार की आंतरिक परिस्थितियों का ज्ञान हो । फिर कर्जदार की जो मनोवृत्ति होती है इसके कारण किसान घर की आंतरिक स्थिति का पूरा खुलासा महाजन को कह सुनाता है । तभी उसे समय पर कर्ज तथा उधार मिलता है । अतः हम कह सकते हैं कि गांव की आर्थिक स्थिति का पूरा अंदाज महाजन को रहता है और महाजन इनकी आर्थिक स्थिति तथा मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर अपना व्यापार चलाता है ।

महाजन और किसान के बीच सम्बन्धों की चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसान को महाजन से कई सुविधायें प्राप्त होती हैं । किसान ऐसा महसूस करता है कि महाजन, "हमें लाभ पहुँचा रहा है ।" वैसे गांव वालों ने अनेक कठिनाइयां भी गिनायीं । खाती की ढाणी जैसे गांव के लोग महाजन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं को इस रूप में समझते हैं:—

१. समय पर चीजें उधार मिल जाती हैं ।
२. समय पर कर्जा प्राप्त होता है ।
३. कर्जा चुकता नहीं करने पर भी पुनः कर्जा मिलता है ।
४. कर्जा देर से चुकाने की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है ।
५. महाजन गांव में आकर चीजें खरीदता है ।

उपरोक्त लाभों को व्यक्त करते समय किसान यह महसूस करता है कि महाजन संकट में सहायक होता है । इस एहसानमंदी की भावना के कारण ही किसान को अपना शोषण नहीं खलता है । पर यह बात नहीं है कि उसे महाजन के वर्तमान सम्बन्धों में कोई परेशानी नहीं है । उपरोक्त सुविधाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ उन्होंने कुछ कठिनाइयाँ भी गिनायीं:—

१. उधार लेने पर—

(क) माल महंगा मिलता है,

(ख) तौल में कम मिलता है।

(ग) अधिक वापस करना पड़ता है।

२. वापसी के लिए महाजन परेशान करता है।

३. ब्याज अधिक लेता है, खासकर उधार लेने पर।

४. महाजन किसान से वस्तुएँ सस्ते में खरीदता है।

५. कर्जदार होने के कारण वस्तुएँ निश्चित महाजन को ही बेचना पड़ता है।

६. सामाजिक तथा नैतिक दबाव रहता है।

७. हिसाब में गड़बड़ी रहती है।

उपरोक्त कठिनाइयों में महाजन द्वारा शोषण के सभी तत्व शामिल हैं। आगे शोषण के गणित को भी संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे।

महाजन और किसान का आपसी सम्बन्धी मुख्यतः भौतिक है। किसान अपनी गरज से महाजन से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है। गांव का किसान महाजन से माल खरीद-बिक्री का सम्बन्ध नहीं रखता है, यह हमने देखा। उसका संबंध उधार और कर्ज का भी है। अतः खरीद की वस्तुएँ बाजार भाव से अधिक महंगी किसान को प्राप्त होती हैं। और बिकने वाली चीजों का भाव अपेक्षाकृत कम मिलता है। शोषण के गणित को समझने के लिए यह जरूरी है कि महाजन द्वारा अपनायी जाने वाली वापसी की शर्तों तथा अन्य तरीकों को भी समझा जाय। किसान वह चीजें खरीदता है जो कि सामान्यतया सभी लोग खरीदते हैं जैसे कपड़ा, तेल आदि। पर ये चीजें उन्हें मंहगी मिलती हैं। इसका मुख्य कारण है महाजन से कर्ज का सम्बन्ध होना। सर्वेक्षण से पता चला कि उधार, कर्ज, तथा अन्य लेने देने में एक निश्चित नीति के अनुसार किसान का शोषण किया जाता है। इसे भुगतान की विभिन्न शर्तों से समझा जा सकता है जो इस प्रकार है—

१. नगद कर्ज लेने पर १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ता है।

२. वस्तुएँ उधार लेने पर सामान्यतः निम्नलिखित प्रथाओं के अनुसार वापस की जाती हैं—

(क) जितना लिया है उसका सवा गुणा अधिक वापस करना पड़ता है।

(ख) १०० किलो लिखवाकर पुराना ५ किलो कम देता है।

(ग) १०० किलो के स्थान पर १०२.५० किलो अधिक लेता है।

(घ) लेने तथा देने के बाट तथा भाव में अंतर के कारण करीब-करीब ६ प्रतिशत का लाभ महाजन लेता है।

(ङ) महाजन डंडी मारता है जिससे करीब करीब १.५० प्रतिशत का लाभ कमाता है।

इस नियम के अनुसार यदि कोई किसान १०० किलो अन्न महाजन से लेता है तो साल भर बाद जब वह अन्न वापस करने जाता है तो कुल मिलाकर लगभग ४० प्रतिशत अधिक देना पड़ता है।

यह गणित चौंकाने वाला हो सकता है। पर थोड़ी गहराई से विचार करने पर यह साफ हो जाता है। महाजन अनेक तरीकों से किसान से लाभ कमाता है। इससे किसान को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसका शोषण हो रहा है। किसान कभी थोक वस्तुयें नहीं लाता। उधार के रूप में फुटकर ही चीजें लायी जाती हैं। कभी ५ किलो, कभी १० किलो इसी मात्रा में सामान लाते हैं। इस थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लाभ कमाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। यहाँ का किसान कई अवसरों पर उधार लाता है, जैसे बोने के समय बीज, खाने के लिए समय-समय पर फुटकर चीजें, आदि। उधार देते समय महाजन की मुख्य शर्तें रहती हैं कि पैदावार होने पर दी गयी शर्तों के अनुसार वापस करना होगा। ऊपर बतायी गयी शर्तों के अनुसार पैदावार होने के बाद वापसी का भरसक प्रयास किसान करता है ताकि पुनः समय पर कर्ज मिल सके और व्याज आदि से छूट मिले।

———•——

: छ: :

अंतिम

पिछले अध्यायों में हमने इस गांव के आयात-निर्यात तथा महाजनी व्यवस्था का संक्षेप में अवलोकन किया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि महाजन का गांव के जन-जीवन और परिवारों में गहरा प्रवेश है। दोनों पक्षों के परस्पर संबन्धों को देखते हुए कभी-कभी लगता है कि महाजन की सेवा गांव के लिए अनिवार्य है। पर इस सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि इस सेवा में शोषण काफी मात्रा में है। दोनों का सम्बन्ध मुख्यतः आर्थिक है, हालांकि लगता ऐसा है मानो महाजन उनका सेवक है। अपने वाक् चातुर्य के कारण महाजन किसान का विश्वास आसानी से प्राप्त कर लेता है। परम्परा से चली आ रही महाजनी ग्रामीण जीवन का अंग बन गया है। सामान्य किसान यह सोच भी नहीं सकता कि बिना महाजन की सहायता से उनका जीवन चल सकता है। उनकी राय में महाजन आयात-निर्यात का माध्यम है, संकट में सहायक है। ग्रामीण सामान्य तौर पर यह जानता है कि वर्तमान व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। सहकारी बैंक या अन्य व्यवस्था का विकल्प उसे बताया भी जाता है तो वह उसे अमल में लाने की असमर्थता बताता है। इस असमर्थता में काफी तथ्य है क्योंकि ये विकल्प व्यक्ति-निरक्षेप होने और केवल नियमों के आधार पर चलने के कारण अधिक असुविधाजनक होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प आसान नहीं है। खाती की ढांणी जैसे छोटे से गांव में हमने अन्य प्रकार की व्यापार पद्धति अपनाने के बारे में गांव के लोगों की राय जानने का प्रयास किया। उन्होंने इसमें कई कठिनाईयां बतलाई। उन्होंने जो राय जाहिर की उसके अलावा भी अनेक कठिनाइयां हैं। महाजन के तो इस व्यवस्था को बदलने के पक्ष में होने का सवाल ही नहीं उठता है।

हमनें प्रायः सभी लोगों से सहकारी दुकान के बारे में प्रश्न पूछे। क्या ग्राम सभा द्वारा या अन्य प्रकार से व्यापार की सहयोगी

व्यवस्था होने से शोषण समाप्त हो सकता है ? यह प्रश्न उनके सामने भी आया था। दूसरा प्रश्न था, "आप व्यापार की कौन सी व्यवस्था पसन्द करते हैं ?" अधिकांश लोगों ने जो उत्तर दिये वे इस प्रकार हैं :—

(१) हम महाजन की वर्तमान व्यवस्था को पसंद करते हैं।

(२) परन्तु यदि ठीक ढंग से चले तो ग्रामसभा द्वारा चलने वाली सहकारी दुकान सर्वोत्तम होगी।

(३) तीन व्यक्तियों ने सहकारी व्यापार की पसन्दगी जाहिर की है।

इस बीच देश में ग्राम-संगठन की एक सक्षम योजना ग्रामदान के रूप में प्रगट हुई है। ग्रामदान के सन्दर्भ में क्या गांव के आर्थिक शोषण को रोकने और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सबल बनाने के प्रयास किये जा सकते हैं ? गांव के लोग ग्राम सभा के द्वारा सामूहिक व्यापार पसन्द करते हैं। पर वर्तमान परिस्थिति में वैसा करने में हिचकिचाते हैं। सरकार की ओर से जारी सहकारी बैंक को वे पसन्द नहीं करते हैं। इसके कारणों में सरकार की ओर से चलने वाली सस्ते गल्ले की दुकान तथा पंचायत समिति की ओर से मिलने वाली नकावी आदि मदद का उनका अनुभव है। उनका मानना है कि सरकारी व्यापार में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। वर्तमान महाजनी व्यापारिक प्रथा की कठिनाइयों का जिक्र पिछले पृष्ठों में किया गया है। पर उन कठिनाइयों के बावजूद, अपेक्षाकृत उन्हें यही पद्धति पसन्द है।

गांव की सहयोगी व्यवस्था के बारे में निम्न कठिनाइयों का जिक्र उन लोगों ने किया जिनके कारण उनकी ग्रामसभा इस ओर कदम नहीं उठा सकी। ये कठिनाइयां मोटे तौर पर ये हैं :—

१. व्यवस्था की कठिनाई।

२. हिसाब-किताब में नैतिकता कायम रखने की कठिनाई।

३. गोदाम तथा वस्तुओं की सुरक्षा की समस्या।

४. पूंजी की समस्या।

५. आज महाजन से सम्बन्ध है तो उससे कर्ज व उधार ले लेते हैं। पर गांव वाईज व्यवस्था में ये सुविधायें नहीं मिल पायेंगी।

६. कर्ज वापसी में महाजन की ओर से जो लचीलापन बरता जाता है वह इसमें नहीं हो सकेगा।

गांव के लोगों का कहना था कि गांव की ओर से व्यापार चलाने में सबसे बड़ी बाधा, व्यवस्था कौन करे, इसकी है। इस समस्या का सम्बन्ध शिक्षा से भी जुड़ जाता है। शिक्षा के अभाव में, खास कर इस गांव में, इस प्रकार का काम उठाना अभी सम्भव नहीं है। सहयोग करने की इच्छा होते हुए भी व्यवस्था की सुविधा के अभाव में यह सम्भव नहीं हो पाता है। सार्वजनिक कार्यों में आर्थिक शुद्धता के बारे में जो शंका उठती है वह यहां भी है। पर्याप्त कुशलता के अभाव में व्यापारिक कार्य चलाने में घाटे की भी पूरी संभावना है। गांव वालों की इस कार्य के बारे में अनभिज्ञता भी इसे हाथ में लेने के उत्साह में बाधक है।

इस सम्बन्ध में एक और बात विचारणीय है। महाजनी व्यवस्था में व्यक्ति का व्यक्ति से सम्बन्ध आता है। कर्ज देने वाला और लेने वाला दोनों व्यक्ति होते हैं। इसलिये जहां एक ओर वसूली में लचीलापन रहता है वहां कर्ज लेने वाले को सामने वाले व्यक्ति का लिहाज भी रहता है। एक नैतिक बंधन महसूस होता है। अन्ततोगत्वा वह छोड़ेगा नहीं, किसी भी प्रकार से देना ही पड़ेगा। यह भय तो लगा हुआ ही रहता है। ये सब परिस्थितियां कर्जदार की नैतिकता को कायम रखने में मदद करती हैं। कर्ज की व्यवस्था जब ग्रामसभा की ओर से या अन्य प्रकार से सामूहिक होती है तो व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सम्बन्ध के कारण जो परस्पर लिहाज या नैतिक भावना होती है उसका स्थान नहीं रहता। कर्जदार किसी व्यक्ति के प्रति जो लिहाज का अनुभव करता है उससे वह मुक्त हो जाता है और इस प्रकार नैतिकता ढीली पड़ने लगती है।

व्यावहारिक दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या महाजन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की समाप्ति की है। गांव के लोगों का, किसान का, महाजन से इस प्रकार का सम्बन्ध हो गया है कि वे समझते हैं कि महाजन के सहयोग के बिना, उससे जो सुविधायें

मिलती हैं उनके विना काम चलना सम्भव नहीं है। यह उनकी व्यवहारिक कठिनाई है।

महाजन उन्हें पर्याप्त उधार देता है जिससे उनकी जीविका चलती है, संकट के समय काम आता है। कर्ज से उनकी खेती तथा अन्य कार्य होते हैं। गांव की ग्राम सभा यह सारी सुविधायें समय-समय पर दे सकेगी इसमें पूरी शंका है। पीढ़ियों से महाजन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा को छोड़ना एक दुरुह कार्य है। यह तभी छूट सकती है जबकि उन्हें उससे अधिक सुरक्षित व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास हो सके।

महाजन का संबंध किसान से केवल कर्ज या पूंजी मुहैया करने वाले के रूप में ही नहीं आता, उसका एक दूसरा काम भी है। गाँव का व्यापार, किसान की उपज का निर्यात और आवश्यकता पूर्ति के सामान का। ग्रामदान में ग्रामसभा से यह अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि वह शोषण मुक्ति के प्रयास में इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करे पर आर्थिक क्षेत्र में इस ओर नगण्य प्रयास हुए हैं।

आज व्यवस्था में व्यापार किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहा है। व्यापार में विशेषज्ञों तथा व्यापारिक संगठनों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें स्तरीय तकनीकी व्यवस्था तथा विशेषज्ञों की प्रभाव पूर्ण भूमिका रहती है जो कि गांव में उपलब्ध नहीं है। आज का गांव न तो व्यापार की अद्यतन उलट फेर से परिचत है न विशेषज्ञों की सलाह से ही लाभान्वित है। उन्हें व्यापार की वे सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं जो कि आज आवश्यक मानी जाती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यापार को सामूहिक रूप देना, महाजन की बुराइयों से मुक्त करना, एक कठिन काम है। खाती की ढांणी में जो कुछ भी हमने देखा इस पर से हमारे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:-

(क) ग्रामीण व्यापार में शोषण से मुक्ति पाना, महाजन से वैर स्थापित करके सम्भव नहीं है। आज का गांव इस स्तर की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिपक्वता में नहीं है कि उससे अलग, उसके विरोध में आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। महाजन-किसान का सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध इस प्रकार से जकड़ा है कि उन्हें तोड़ने से गांव का आर्थिक जीवन छिन्न भिन्न होगा, जुड़ेगा नहीं।

फिर ग्रामदान सामाजिक सम्बन्धों में साम्य लाना चाहता है। महाजन को जब ग्रामदान आन्दोलन में शामिल करेंगे, तो कर्ज के साथ-साथ एक मनुष्य मिलेगा। महाजन की बुद्धि, सहानुभूति तथा कार्यकुशलता ग्रामदान के विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन बनेंगे।"* स्पष्ट है कि ग्रामदान और इस प्रकार ग्रामदानी गांव को इस ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए कि महाजन और किसान दोनों का विरोध और शोषण समाप्त हो। जिस तरह गांव ग्रामदान में शामिल होते हैं, उसी तरह महाजन भी शामिल होंगे। फिर जिस तरह ग्रामदान में गांव के लोगों से बीसवां हिस्सा जमीन, चालीसवां हिस्सा अनाज, तीसवां हिस्सा मजदूरी या वेतन छोड़ने को कहा जाता है, उसी तरह महाजन को भी दसवां हिस्सा सूद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।"† वास्तविकता तो यह है कि उस गांव में या यों कहें, अन्य ग्रामदानी गांवों में भी इस प्रकार के मूलगामी समन्वयात्मक प्रयास अभी तक नहीं किये जा सके हैं। इस दिशा में प्रयत्नों से ही रास्ता साफ होगा।

(ख) हमने देखा कि व्यावहारिक दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या महाजन की मुक्ति से होने वाले परिणामों का भय है। इस भय से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि जिन शर्तों पर और जिन सुविधाओं के साथ महाजन कर्ज मुहैया करता है इन्हीं शर्तों और सुविधाओं के साथ ग्रामसभा भी कर्ज तथा अन्य सुविधायें दे। ग्रामसभा ये सुविधायें किस प्रकार दे सकती है यह तो प्रयोग करने पर ही मालूम हो सकेगा फिर भी प्रारम्भिक तौर पर ये प्रयास किये जा सकते हैं:-

१. आज जिस प्रकार का आर्थिक संबंध किसान का महाजन से होता है करीब-करीब इसी प्रकार का सम्बन्ध, ग्रामदान के बाद, प्रत्येक किसान का ग्रामसभा से हो। स्पष्ट है इस हालत में किसान का महाजन से सीधा संबन्ध नहीं हो। महाजन का भी सीधा सम्बन्ध किसान से न होकर ग्रामसभा से होगा। व्यवहार में यह सम्बन्ध ग्रामसभा की कार्यकारिणी या उसी प्रकार की अन्य संस्था जो कि कर्ज आदि आदि का काम देखती हो, उससे हो।

---

* श्री धीरेन्द्र मजूमदार, ग्रामदान : शंका और समाधान; पृ० ८४, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, वाराणसी, दूसरा संस्करण, १९६७.

† वही, पृ० ८३.

मिलती हैं उनके बिना काम चलना सम्भव नहीं है। यह उनकी व्यवहारिक कठिनाई है।

महाजन उन्हें पर्याप्त उधार देता है जिससे उनकी जीविका चलती है, संकट के समय काम आता है। कर्ज से उनकी खेती तथा अन्य कार्य होते हैं। गांव की ग्राम सभा यह सारी सुविधायें समय-समय पर दे सकेगी इसमें पूरी शंका है। पीढ़ियों से महाजन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा को छोड़ना एक दुरुह कार्य है। यह तभी छूट सकती है जबकि उन्हें उससे अधिक सुरक्षित व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास हो सके।

महाजन का संबंध किसान से केवल कर्ज या पूंजी मुहैया करने वाले के रूप में ही नहीं आता,-उसका एक दूसरा काम भी है। गाँव का व्यापार, किसान की उपज का निर्यात और आवश्यकता पूर्ति के सामान का। ग्रामदान में ग्रामसभा से यह अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि वह शोषण मुक्ति के प्रयास में इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करे पर आर्थिक क्षेत्र में इस ओर नगण्य प्रयास हुए हैं।

आज व्यवस्था में व्यापार किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहा है। व्यापार में विशेषज्ञों तथा व्यापारिक संगठनों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें स्तरीय तकनीकी व्यवस्था तथा विशेषज्ञों की प्रभाव पूर्ण भूमिका रहती है जो कि गांव में उपलब्ध नहीं है। आज का गांव न तो व्यापार की अद्‌यतन उलट फेर से परिचत है न विशेषज्ञों की सलाह से ही लाभान्वित है। उन्हें व्यापार की वे सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं जो कि आज आवश्यक मानी जाती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यापार को सामूहिक रूप देना, महाजन की बुराइयों से मुक्त करना, एक कठिन काम है। खाती की ढांणी में जो कुछ भी हमने देखा इस पर से हमारे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:-

(क) ग्रामीण व्यापार में शोषण से मुक्ति पाना, महाजन से बैर स्थापित करके सम्भव नहीं है। आज का गांव इस स्तर की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिपक्वता में नहीं है कि उससे अलग, उसके विरोध में आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। महाजन-किसान का सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध इस प्रकार से जकड़ा है कि उन्हें तोड़ने से गांव का आर्थिक जीवन छिन्न भिन्न होगा, जुड़ेगा नहीं।

फिर ग्रामदान सामाजिक सम्बन्धों में साम्य लाना चाहता है। महाजन को जब ग्रामदान आन्दोलन में शामिल करेंगे, तो कर्ज के साथ-साथ एक मनुष्य मिलेगा। महाजन की बुद्धि, सहानुभूति तथा कार्यकुशलता ग्रामदान के विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन बनेंगे।"* स्पष्ट है कि ग्रामदान और इस प्रकार ग्रामदानी गांव को इस ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए कि महाजन और किसान दोनों का विरोध और शोषण समाप्त हो। जिस तरह गांव ग्रामदान में शामिल होते हैं, उसी तरह महाजन भी शामिल होंगे। फिर जिस तरह ग्रामदान में गांव के लोगों से बीसवां हिस्सा जमीन, चालीसवां हिस्सा अनाज, तीसवां हिस्सा मजदूरी या वेतन छोड़ने को कहा जाता है, उसी तरह महाजन को भी दसवां हिस्सा सूद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।"† वास्तविकता तो यह है कि उस गांव में या यों कहें, अन्य ग्रामदानी गांवों में भी इस प्रकार के मूलगामी समन्वयात्मक प्रयास अभी तक नहीं किये जा सके हैं। इस दिशा में प्रयत्नों से ही रास्ता साफ होगा।

(ख) हमने देखा कि व्यावहारिक दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या महाजन की मुक्ति से होने वाले परिणामों का भय है। इस भय से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि जिन शर्तों पर और जिन सुविधाओं के साथ महाजन कर्ज मुहैया करता है इन्हीं शर्तों और सुविधाओं के साथ ग्रामसभा भी कर्ज तथा अन्य सुविधायें दे। ग्रामसभा ये सुविधायें किस प्रकार दे सकती है यह तो प्रयोग करने पर ही मालूम हो सकेगा फिर भी प्रारम्भिक तौर पर ये प्रयास किये जा सकते हैं:-

१. आज जिस प्रकार का आर्थिक संबंध किसान का महाजन से होता है करीब-करीब इसी प्रकार का सम्बन्ध, ग्रामदान के बाद, प्रत्येक किसान का ग्रामसभा से हो। स्पष्ट है इस हालत में किसान का महाजन से सीधा संबन्ध नहीं हो। महाजन का भी सीधा सम्बन्ध किसान से न होकर ग्रामसभा से होगा। व्यवहार में यह सम्बन्ध ग्रामसभा की कार्यकारिणी या उसी प्रकार की अन्य संस्था जो कि कर्ज आदि आदि का काम देखती हो, उससे हो।

---

* श्री धीरेन्द्र मजूमदार, ग्रामदान : शंका और समाधान; पृ० ८४, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, वाराणसी, दूसरा संस्करण, १९६७.

† वही, पृ० ८३.

१. ग्रामसभा कर्ज आदि की व्यवस्था करे और इसके लिए वह उचित शर्तों पर महाजन से पूंजी ले और अपनी जिम्मेवारी पर किसी व्यक्ति को कर्ज पर सहायता दे।

२. इस दशा में महाजन को पूंजी वापस करने की और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ग्रामसभा की हो। महाजन सीधे किसी किसान से कर्ज की वापसी नहीं करा सकेगा।

३. इससे मिलता जुलता एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। किसान सीधे महाजन से पैसा ले। वापसी की जिम्मेदारी भी किसान को हो। परन्तु लेनदारी की शर्तों की पूरी जानकारी ग्रामसभा के पास हो। साथ ही साथ यह भी तय रहे कि यदि पैसा डूबने की स्थिति आये तो ग्रामसभा उसमें हस्तक्षेप करे अर्थात ग्रामसभा के माध्यम से व्यक्ति कर्ज ले। उससे एक तो मनमाना व्याज तथा अन्य प्रकार के शोषण की गुंजाइश नहीं रहेगी। दूसरे, ग्रामसभा को सीधे कर्ज देने में जो कठिनाईयाँ हिसाब, पूंजी आदि की हो सकती हैं वह नहीं होगी। तीसरे, महाजन की पूंजी भी सुरक्षित रहेगी।

संभव है इस प्रकार के प्रयास से महाजन को अपने लाभ छूटने का भय तथा किसान को महाजन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होने का भय कम होने में मदद मिले और साथ ही साथ महाजन और किसान के सम्बन्ध भी सौम्य बने रहे सकें।

(ग) ग्रामदान में गांव को स्वायत्त इकाई के रूप में मान्य किया गया है। व्यापार की समस्याओं को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि व्यापार की इकाई भी गांव हो और व्यक्तिगत लेन देन के स्थान पर, ग्राम स्तर पर ग्रामसभा, सरकारी समितियों, किसी ऐसी ही सामूहिक एजेंसी के माध्यम से व्यापार हो। व्यापार का ग्रामीकरण हो। ग्राम भण्डार के संगठन द्वारा गांव में जो उत्पादन होता है उसे उचित मूल्य मिले और प्राथमिक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के सामने गांव में उचित दरों पर उपलब्ध हो, यह प्रयास किया जाय।*

परन्तु यह काम गांव के आपसी सहयोग से ही सम्भव है। जब गांव में आपसी संगठन और शिक्षण बढ़ेगा तो अशिक्षा के कारण बनी समस्याएं धीरे धीरे सुलझती जायेंगी। व्यापार के लिये ग्रामसभा द्वारा संचालित सहकारी दूकान चलाने का प्रयास किया जा

---

* ग्रामदान प्रचार, प्राप्ति और प्रष्टि; पृष्ट ६५, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, वाराणसी, दूसरा संस्करण १९६६.

सकता है। इस सहकारी दूकान में गांव में उत्पन्न वह अन्न जो कि गांव से बाहर किसी कारण वश बेचा जाता है और वह अक्सर सस्ते भाव में बिकता है—रक्खा जा सकता है। साथ ही गांव में उपयोग की चीजें भी उस दूकान में रक्खी जायें ताकि गांव के लोगों को वे उचित कीमत पर मिले।

(घ) इन सब कार्यों में मुख्य आवश्यकता पूंजी की होती है। ग्रामदान के बाद ग्रामसभा के पास पूंजी के कई स्रोत निकलते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से पूंजी प्राप्ति के जो स्रोत हैं वे तो इसमें कायम रहते ही हैं, क्योंकि ग्रामदान में व्यक्तिगत अभिक्रम को मुरझाने से रोकने का प्रयास है।

आज गांव में मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। एक, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा, विकास के लिए पूंजी।

जहाँ तक पहली आवश्यकता का प्रश्न है इसके लिए अन्न संग्रह की योजना बनायी जानी चाहिए। यह प्रयास होना चाहिए कि कम से कम दो वर्षों के लिए अन्न गांव के भंडार में जमा रहे। यह भी गांव की एक प्रमुख पूंजी होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग पूंजी के रूप में किया जा सकेगा। जहाँ तक अन्न संग्रह करने की बात है इस बारे में कहा जा सकता है कि आज गांव के पास इतना अन्न कहाँ है कि संग्रह किया जाय। इसमें काफी सत्यताहै। खाती की ढांणी में तो आज की स्थिति में शायद यह बिल्कुल सम्भव नहीं हो। लेकिन खाती की ढांणी में भी महाजनों से उधार-लाने और फसल होने पर अधिक वापस देने की क्रिया चलती है जिसमें काफी मात्रा में शोषण होता है। इसे तो रोका ही जा सकता है।

अन्न संग्रह के अतिरिक्त ग्रामसभा निम्नलिखित स्रोतों से पूंजी संग्रह का काम कर सकती है:—

१. ग्रामकोष की शर्तों के अनुसार पूंजी का संग्रह। ग्रामदान की शर्तों के अनुसार खाती की ढांणी में ग्रामकोष जमा किया जाय तो एक मुश्त रकम जमा हो सकती है। पिछले वर्षों में अकाल पड़ा, फिर भी यदि प्रयास किया गया होता तो आय के ३० वें हिस्से के हिसाब से १९६५-६६ और ६६-६७ में क्रमश: २०५४ और १९८९ रु० जमा किया जा सकता था। इस प्रकार दो वर्षों में ४०४३ रु० जमा किया जा सकता था।

२. ग्रामसभा महाजनों से भी उचित शर्तों पर धन इकट्ठा कर सकती है। आज व्यक्तिगत आधार पर महाजनों से पूंजी ली जाती है। यह काम ग्रामसभा अपनी जिम्मेदारी पर कर सकती है। क्षेत्र से कितनी पूंजी प्राप्त हो सकेगी यह स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

३. इसी प्रकार ग्रामसभा स्वयं किये गये कार्यों से भी पूंजी प्राप्त कर सकती है। जैसाकि हायल ग्रामदानी गांव में घास विक्री, जंगल, फल विक्री, हड्डी विक्री तथा सामूहिक खेती से पूंजी प्राप्त होती है। इस प्रकार की पूंजी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त हो सकती है।†

४. "सबसे पहले विकास के लिए मन:स्थिति तैयार करने और उत्साह पैदा करने की जरूरत है; ताकि पूरा गांव समर्थ लोगों को अपील कर सके कि वे अपनी आमदनी में से ग्रामकोष के लिए सम्पत्ति दान करें। जन्म, शादी आदि खुशी के अनुष्ठानों पर भी ग्रामकोष के लिए दान देने की परिपाटी कायम करनी चाहिए।"*

५. इसके अतिरिक्त बाहरी साधनों का सहयोग लेना लाजमी है। सरकार द्वारा पूंजी प्रदान करने की कई प्रकार की व्यवस्था है। बैंकों का सहयोग इसमें हो सकता है। अत: ग्रामसभा गांव की तरफ से सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है।

[ङ] मूलत: ग्राम स्तर पर व्यापार, कर्ज एवं पूंजी की इकाई ग्रामसभा है। परन्तु समग्र विकास के लिए यह जरूरी है कि संगठन का वर्तुल धीरे धीरे आगे बढ़ता जाय। गाँव की सारी आवश्यकतायें गांव में ही नहीं पूरी हो सकतीं। इसके लिए पास-पड़ोस राज्य और इसी प्रकार देश तथा विश्व स्तर तक संगठन एवं व्यवस्था सूत्र को आगे बढ़ाना होगा। चूंकि ग्रामदान ग्राम केन्द्रित व्यवस्था प्रस्तुत करता है इस कारण मूल केन्द्र गाँव है। गांव के बाद क्षेत्र स्तर का संगठन होगा। हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्ति का आमने-सामने (face to face) का सम्बन्ध रहता है। इस ख्याल से भी हमारा क्षेत्रीय संगठन काफी मजबूत होना चाहिए।

† "हायल; ग्रामदानी गांव : ग्रामसभा की कार्य पद्धति और सम्बन्धों का अध्ययन"

* श्री धीरेन्द्र मजूमदार, वही० प्र० ८१

आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी, व्यापार, ऋण और आर्थिक विकास की योजना बनायी जा सकती है। यह काम क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जा सकेगा। क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताएं तथा क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के आधार पर आयात-निर्यात की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाला मजबूत संगठन होना आवश्यक है। लेकिन यहां एक बात याद रखने की है कि मूल घटक ग्रामसभा है और उससे ऊपर की इकाइयां गांधीजी के शब्दों में "समुद्र की लहरों के समान सूक्ष्म होती जायेगी" और अंततः पूरी व्यवस्था में विलीन हो जायगी।

[च] इस अध्ययन में हमने मुख्य रूप से आयात-निर्यात और कर्ज के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। इस बारे में, खाती की ढाणी गांव का एक आंकड़ा ध्यान में रखा जा सकता है। ऊपर हमने गांव की कुल आय, आयात-निर्यात और कर्ज के माध्यम से गांव से बाहर जाने वाले धन का उल्लेख किया है। १९६५-६६ और १९६६-६७ में गांव की कुल आय क्रमशः ६१६१० और ५९६७० रुपये रही। उस गांव में शोषण का मोटा मोटा हिसाब इस प्रकार लगता है। इस समय कुल नकद कर्ज ४५४० रु० रहा जिस पर १२% व्याज देना पड़ता। इस रूप में ५४५० रु० व्याज के रूप में महाजनों के पास जाते। इनके अतिरिक्त उधार लानेवाली चीजों पर आमतौर पर ४० प्रतिशत व्याज देना पड़ता है। प्रति वर्ष कुल आयात का करीब आधा भाग उधार आता है। इस प्रकार ४६८६२ रुपये का आयात, पिछले दो वर्षों में, उधार के रूप में किया गया। अतः उधार लाई चीजों पर विभिन्न प्रकार से १८७४५ रुपये महाजन को देना पड़ा है। इस हिसाब से पिछले दो वर्षों में गांव से कुल २४१९५ रु० महाजनों के पास गये। इस प्रकार इन इन दो वर्षों में कुल आय का १९.९५ प्रतिशत भाग महाजनों के पास चला गया। यदि ग्रामसभा स्वयं की जिम्मेदारी पर इस काम को करे तो इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी रकम की बचत हो सकती है।

(छ) गांव की दूकान चलाने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं पर विचार करते समय एक मुख्य समस्या सामाजिक नैतिकता की आयी। ग्रामसभा द्वारा धार्मिक कार्य करने आदि में

लेने-खास कर ऋण प्रदान करने पर सामाजिक नैतिकता टूटने का भय रहता है। महाजन के साथ के संबन्ध में कर्ज वसूली के लिए उठाये जा सकने वाले कदमों के डर से, कुछ नया कर्ज न मिलने के डर से और कुछ एहसान की भावना से किसान अपनी नैतिकता कायम रखता है।

महाजन का स्थान ग्रामसभा के ले लेने से वसूली का डर भी उतना नहीं रहेगा। अतः ग्रामसभा से प्राप्त कर्ज को वापस करने में आलस्य तथा न वापस करने की मंशा पनपने का अधिक अवसर रहेगा।

यह एक व्यवहारिक समस्या है जिसका हल ग्रामसभा को ढूंढना है। खाती की ढांणी के लोगों को भी इस प्रकार का भय है।

इस समस्या से मुक्ति पाने का कोई बना बनाया फार्मूला प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

ग्राम नेतृत्व और लोक शिक्षण दोनों मिलकर उपस्थित परि-स्थितियों में इसका निराकरण ढूंढेंगें।



कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान

उद्देश्य

- शान्ति के अर्थशास्त्र पर अध्ययन
- विशेषतः ग्रामदानी गाँवों का अध्ययन, सर्वेक्षण और आयोजन
- ग्रामदान आन्दोलन से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन और शोध
- ग्राम नेतृत्व को प्रोत्साहन और उसके विकास में सहायता

संचालक मंडल